प्रशासकीय प्रतिवेदन

2024-25

श्रम विभाग

Scanned with OKEN Scanner

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रम विभागीय पोर्टल 'श्रमेव जयते' का शुभारंभ

माननीय श्रममंत्री जी श्रम सम्मेलन कोरबा में श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2024-25

Scanned with OKEN Scanner

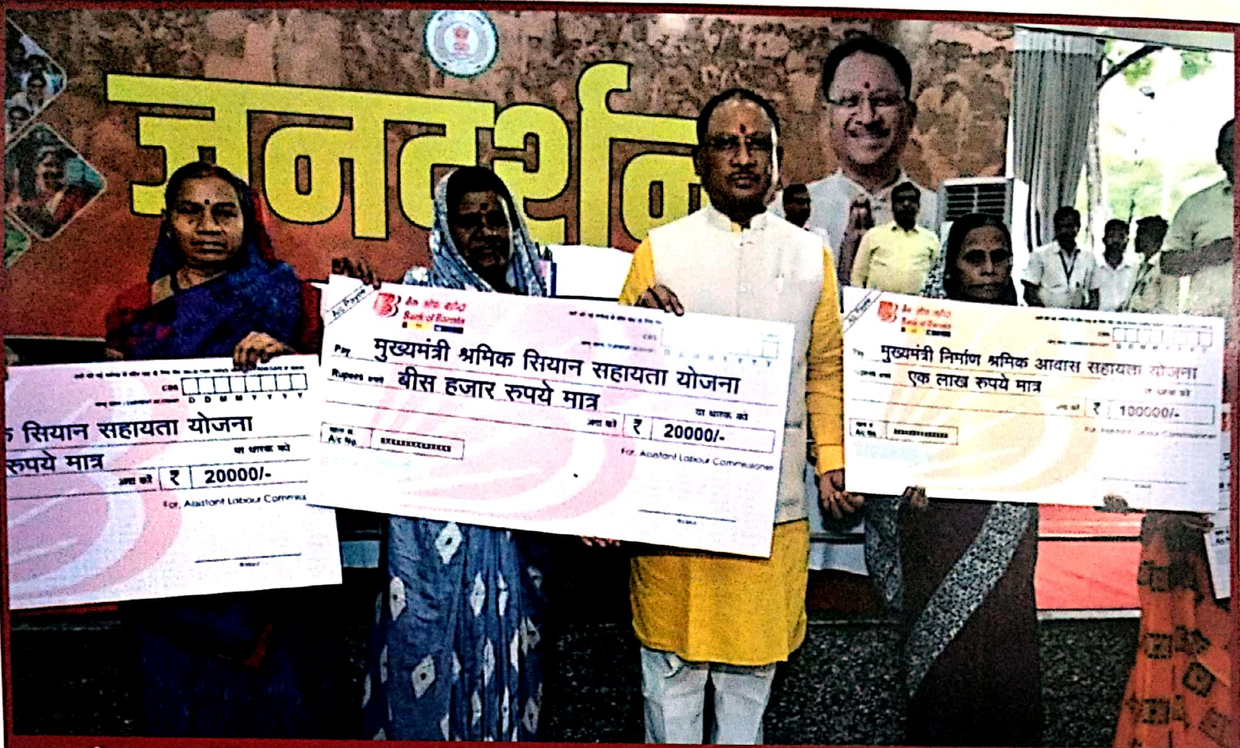

माननीय मुख्यमंत्री जी 'मुख्यमंत्री श्रमिक सियान' एवं 'आवास' सहायता योजना से लाभांवित करते हुए

माननीय श्रम मंत्री जी 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना' से लाभांवित करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष : 2024-25

विभाग का नाम	-	श्रम विभाग
मंत्री	-	श्री लखन लाल देवांगन
सचिव	-	सुश्री अलरमेलमंगई डी. (आई.ए.एस.)
संयुक्त सचिव	-	डॉ0 फरिहा आलम (आई.ए.एस.)
उप सचिव	-	श्री चेतन बोरघरिया

विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक न्यायालय	-	रिक्त
श्रमायुक्त	-	सुश्री अलरमेलमंगई डी. (आई.ए.एस.)
संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	-	सुश्री अलरमेलमंगई डी. (आई.ए.एस.)

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

अध्यक्ष - श्री लखन लाल देवांगन, माननीय श्रम मंत्री

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

अध्यक्ष - श्री लखन लाल देवांगन, माननीय श्रम मंत्री

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

अध्यक्ष - श्री लखन लाल देवांगन, माननीय श्रम मंत्री

उपाध्यक्ष - श्री केशव बंटी हरमुख

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक		पृष्ठ
1	श्रम विभाग का दायित्व		1
2	श्रम विभाग की संरचना		2
3	श्रमायुक्त संगठन		3–4
	3.1	श्रमायुक्त संगठन का अमला	3–4
4	श्रमायुक्त संगठन का बजट– वर्ष 2024–25		5
5	श्रम अधिनियमों एवं क्रियान्वयन का दायित्व		6–7
6	औद्योगिक विवाद एवं औद्योगिक संबंध		8
7	व्यवसाय संघ		9
8	श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन		10–15
9	शिकायत निवारण की स्थिति		16
10	उपादान भुगतान		17
11	श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये प्रावधान		18–20
	11.1	बालक एवं किशोर श्रम	18–19
	11.2	पेंसिल पोर्टल	19
	11.3	बंधक श्रम	19–20
12	श्रम यशस्वी पुरस्कार		20
13	न्यूनतम वेतन		21–22
14	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़		23–27
15	लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें		28
16	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल		29–33
17	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		34–43
18	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल		44–60
19	श्रम विभाग के तीनों मंडलों में समान रूप से संचालित योजनाएं		61–62
20	छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति – 2020		63
21	असंगठित श्रमिकों का ई–श्रम पोर्टल में पंजीयन		63
22	राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़		64–65
23	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़		66–69

Scanned with OKEN Scanner

शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजनांतर्गत श्रमिकों को भोजन प्रदाय

Scanned with OKEN Scanner

1. श्रम विभाग का दायित्व

विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधान अनुरूप श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करना विभाग का मुख्य दायित्व है। श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हितों का संरक्षण एवं औद्योगिक शांति स्थापित कर औद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता है। विभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन, श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य हितलाभ का संरक्षण तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है।

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसायजन्य बीमारियों से सुरक्षित करने हेतु अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदंडो का पालन करवाता है, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा तथा स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आपराधिक एवं श्रमिकों के वेतन दावों के प्रकरणों सहित श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं विवादों के निराकरण/निर्धारण हेतु राज्य में औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की गयी है।

प्रदेश में संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में लगे निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कर्मकारों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है। उक्त मण्डलों द्वारा श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

2. श्रम विभाग की संरचना

श्रम मंत्री
⇩
सचिव (श्रम)
⇩

श्रमायुक्त

मुख्यालय

अपर श्रमायुक्त
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- विधि अधिकारी
- सहा0 लेखाधिकारी
- सहा0 श्रम पदाधिकारी
- अधीक्षक

मैदानी कार्यालय
- सहा0 श्रमा0 रायपुर
- सहा0 श्रमा0 दुर्ग
- सहा0 श्रमा0 कोरबा
- सहा0 श्रमा0 बिलासपुर
- सहा0 श्रमा0 रायगढ
- श्रम पदा0 राजनांदगांव
- श्रम पदा0 जगलदपुर
- श्रम पदा0 जांजगीर–चांपा
- श्रम पदा0 अंबिकापुर
- श्रम पदा0 महासमुन्द
- श्रम पदा0 कबीरधाम
- श्रम पदा0 धमतरी
- श्रम पदा0 कांकेर
- श्रम पदा0 कोरिया
- श्रम पदा0 बालोद
- श्रम पदा0 बलौदाबाजार
- श्रम पदा0 गरियाबंद
- श्रम पदा0 मुंगेली
- श्रम पदा0 जशपुर
- श्रम पदा0 सूरजपुर
- श्रम पदा0 बलरामपुर
- श्रम पदा0 बेमेतरा
- श्रम पदा0 कोण्डागांव
- श्रम पदा0 सुकमा
- श्रम पदा0 नारायणपुर
- श्रम पदा0 बीजापुर
- श्रम पदा0 दन्तेवाडा
- श्रम पदा0 गौरेला–पेंड्रा–मरवाही

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- उप संचालक
- सहायक संचालक

मैदानी कार्यालय
- उप संचा0 रायपुर
- उप संचा0 दुर्ग
- उप संचा0 बिलासपुर
- उप संचा0 रायगढ
- उप संचा0 राजनांदगांव
- उप संचा0 कोरबा
- उप संचा0 हाईजिन लैब, रायपुर
- सहा0 संचा0 जांजगीर–चांपा
- सहा0 संचा0 बलौदाबाजार
- सहा0 संचा0 जगदलपुर
- सहा0 संचा0 अंबिकापुर

संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

मुख्यालय
- संचालक
- बीमा चिकित्सा पदा0 (प्रथम श्रेणी)
- बीमा चिकित्सा पदा0 (द्वितीय श्रेणी)
- लेखा अधिकारी

मैदानी कार्यालय → **जिलेवार औषधालय**
- रायपुर (8)
- दुर्ग (9)
- कोरबा (5)
- बिलासपुर (3)
- रायगढ़ (7)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (2)
- धमतरी (1)
- बलौदाबाजार (3)
- गरियाबंद (1)

औद्योगिक न्यायालय

→ **अध्यक्ष**

अध्यक्ष (मुख्यालय) → **श्रम न्यायालय**
- पीठासीन अधि0, रायपुर (2)
- पीठासीन अधि0, बिलासपुर
- पीठासीन अधि0, दुर्ग
- पीठासीन अधि0, राजनांदगांव
- पीठासीन अधि0, अंबिकापुर
- पीठासीन अधि0, रायगढ़
- पीठासीन अधि0, कोरबा
- पीठासीन अधि0, धमतरी
- पीठासीन अधि0, जांजगीर–चांपा
- पीठासीन अधि0, बलौदाबाजार
- पीठासीन अधि0, महासमुंद
- पीठासीन अधि0, मनेन्द्रगढ़
- पीठासीन अधि0, जगदलपुर

खण्डपीठ (बिलासपुर)
- सदस्य न्यायाधीश

छ.ग. श्रम कल्याण मंडल

अध्यक्ष → उपाध्यक्ष → कल्याण आयुक्त → **जिलेवार संचालित कल्याण केंद्र**
- रायपुर (4)
- दुर्ग (3)
- कोरबा (3)
- बिलासपुर (3)
- राजनांदगांव (2)
- जांजगीर–चांपा (1)
- रायगढ़ (1)
- महासमुंद (1)

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

अध्यक्ष → सचिव
- लेखाधिकारी
- योजनाधिकारी

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

अध्यक्ष → सचिव
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- लेखाधिकारी

संकेत

श्रमा0 = श्रमायुक्त	पदा0 = पदाधिकारी
संचा0 = संचालक	अधि0 = अधिकारी
सहा0 = सहायक	(....) = औषधालय / न्यायालय / केन्द्र की संख्या

3. श्रमायुक्त संगठन

(31.12.2024 की स्थिति में)

3.1. श्रमायुक्त संगठन का अमला

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
			सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	
1	श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
2	अपर श्रमायुक्त		–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
3	संचालक औ. स्वा. एवं सुरक्षा		–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
4	उप श्रमायुक्त		–	3	3	–	3	3	–	0	0	–
5	सहायक श्रमायुक्त		–	7	7	–	6	6	–	1	1	–
6	उप संचालक औ.स्वा. एवं सुरक्षा		–	8	8	–	7	7	–	1	1	–
7	उप संचालक (चिकित्सा)		–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
		योग:–	1	22	23	1	18	19	0	4	4	
8	श्रम पदाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	9	19	28	7	9	16	2	10	12	–
9	लेखा अधिकारी		1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
10	सहायक संचालक		20	–	20	14	–	14	6	0	6	–
11	सहायक संचालक (चिकित्सा)		2	–	2	2	–	2	–	–	–	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	सहायक संचालक, (हाईजीन) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा		1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
13	विधि अधिकारी		1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
		योग:–	34	19	53	24	9	33	10	10	20	
14	सहायक श्रमपदाधिकारी	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	9	9	18	8	9	17	1	–	1	–
15	श्रम निरीक्षक		51	52	103	47	38	85	4	14	18	–
16	श्रम उप निरीक्षक		23	24	47	21	22	43	2	2	4	–

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
			सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	
17	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
18	सहायक अधीक्षक		–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
19	सहायक ग्रेड–1		–	5	5	–	5	5	–	–	–	–
20	सहायक ग्रेड–2		–	58	58	–	55	55	–	3	3	–
21	सहायक ग्रेड–3		77	26	103	14	5	19	63	21	84	–
22	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय)	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
23	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी		1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
24	स्टेनोग्राफर–2		–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
25	केमिस्ट		2	2	4	1	–	1	1	2	3	–
26	लैब असिस्टेंट		1	1	2	–	–	–	1	1	2	–
27	स्टेनोग्राफर–3		1	2	3	–	–	–	1	2	3	–
28	सांख्यिकीय पर्यवेक्षक		–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
29	डाटा एण्ट्री आपरेटर		27	–	27	15	–	15	12	–	12	–
30	स्टेनो टाईपिस्ट		2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
31	वाहन चालक		17	–	17	4	–	4	13	–	13	–
		योग:–	212	183	395	110	136	246	102	47	149	
32	लैब अटेन्डेट	चतुर्थ श्रेणी (नियमित)	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
33	दफ्तरी		–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
34	भृत्य		73	–	73	25	–	25	48	–	48	–
35	चौकीदार		14	–	14	3	–	3	11	–	11	–
36	स्वीपर		2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
		योग	91	1	92	28	0	28	63	1	64	
37	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी (जिलाध्यक्ष दर)	1	–	1	2	–	2	–	–	–	01 अधिक
38	भृत्य		5	–	5	–	–	–	5	–	5	–
39	चौकीदार		19	–	19	1	–	1	18	–	18	–
40	अंशकालीन स्वीपर		3	–	3	12	–	12	–	–	–	09 अधिक
		योग :–	28	0	28	15	0	15	23	0	23	
		कुल योग :–	366	225	591	178	163	341	198	62	260	10 अधिक

Scanned with OKEN Scanner

4. श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2024-25

क्र.	योजना शीर्ष		वर्ष 2024–25 में प्राप्त बजट	वर्ष 2024–25 में प्राप्त अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024)
1	2		3	4	5	6
1	4268	श्रमायुक्त कार्यालय (मुख्यालय)	88005000	0	88005000	45796999
2	4271	श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला (मैदानी कार्यालय)	184005000	0	184005000	121623845
3	5810	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	60665000	0	60665000	40124130
4	4270	श्रम कल्याण निधि की स्थापना	60000000	0	60000000	20183155
5	5400	रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार	250000	0	250000	200000
6	2837	बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	13500000	0	13500000	480761
7	5648	औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना	11339000	0	11339000	6945366
8	6915	बाल श्रमिक सर्वेक्षण	11200000	0	11200000	0
9	6947	बाल श्रमिकों का पुनर्वास	1000000	0	1000000	630000
10	7435	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल	1235800000	0	1235800000	455281279
योग			**1,66,57,64,000**	**0**	**1,66,57,64,000**	**69,12,65,535**

Scanned with OKEN Scanner

5. श्रम अधिनियम एवं क्रियान्वयन का दायित्व

क्र.	विषय		श्रम कानून का नाम	प्रवर्तन का दायित्व	
				राज्य शासन	केन्द्र एवं राज्य शासन
1	2		3	5	6
1	औद्योगिक संबंध विषयक	i	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947		√
		ii	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960	√	
		iii	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926	√	
		iv	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961	√	
2	मजदूरी एवं अन्य भुगतान विषयक	i	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936		√
		ii	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948		√
		iii	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965		√
3	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषयक	i	कारखाना अधिनियम, 1948	√	
		ii	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986		√
		iii	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983	√	
4	कतिपय नियोजनों में श्रमिकों के कार्यदशाओं के विनियमन विषयक	i	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017	√	
		ii	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966	√	
		iii	संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970		√
		iv	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	√	
		v	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996		√
		vi	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं का छूट) अधिनियम, 1988		√
		vii	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979		√
		viii	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976		√
		ix	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955		√

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	विषय		श्रम कानून का नाम	प्रवर्तन का दायित्व	
				राज्य शासन	केन्द्र एवं राज्य शासन
1	2		3	5	6
5	महिला समानता एवं सशक्तिकरण विषयक	i	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961		√
		ii	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976		√
6	बाल एवं बंधक श्रमिक विषयक	i	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	√	
		ii	बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016		√
7	क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा विषयक	i	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923		√
		ii	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		√
		iii	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972		√
		iv	असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008		√
8	श्रम कल्याण निधि विषयक	i	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	√	
		ii	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	√	

Scanned with OKEN Scanner

6. औद्योगिक विवाद एवं औद्योगिक संबंध

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रभावशील है। उक्त दोनों श्रम कानूनों के अंतर्गत नियोजकों तथा कर्मचारियों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवादों में समझौते, न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित करने तथा श्रम अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। हड़ताल, तालाबंदी, सुलह कार्यवाही, छंटनी तथा अधिनियम के अंतर्गत देय स्वत्वों के भुगतान आदि के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त दोनों अधिनियम में निहित प्रावधानों के परिपालन में विभागीय अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हुए श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं नियोक्ता के मध्य सुलह कार्यवाही के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित की जाती है।

6.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- उद्योगों/कारखानों में औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद को हस्तगत कर सुलह कार्यवाही करते हैं। सुलह कार्यवाही के असफल होने पर विवाद को समुचित सरकार द्वारा माननीय श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है।
- वर्ष 2024 में कार्यालय श्रमायुक्त को 84 असफल प्रतिवेदन जिला श्रम कार्यालयों से प्राप्त हुए एवं पूर्व वर्ष के 01 प्रकरण निराकरण हेतु शेष था, इस प्रकार कुल 85 प्रकरणों में से 76 प्रकरणों को माननीय श्रम न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किये गये हैं, 09 प्रकरणों को त्रुटि सुधार कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित किया गया है।
- वर्ष 2024 में प्रदेश के श्रम न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णित 189 प्रकरण अभिस्वीकृति हेतु कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर को प्राप्त हुए, जिसकी अभिस्वीकृतियाँ माननीय श्रम न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत अभियोजन/परिवाद की अनुमति दिये जाने हेतु वर्ष 2023 के 12 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे एवं वर्ष 2024 में 13 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 25 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं शेष 11 प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

7. व्यवसाय संघ

- संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को संगठित करने एवं श्रमिक संघों के पंजीयन के उद्देश्य से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 प्रभावशील है।
- इस अधिनियम की धारा–4 अनुसार किसी भी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिकों द्वारा व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा उस व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है।
- पंजीयक, व्यवसाय संघ द्वारा व्यवसाय संघों का पंजीयन किया जाता है। पंजीयक के आदेश के विरूद्ध माननीय औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
- प्रदेश में व्यवसाय संघों के पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.03.2022 से प्राप्त किया जा रहा है।
- वर्ष 2024 में व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण :–

प्राप्त आवेदन	पंजीयन किये गये व्यवसाय संघ की संख्या	निरस्त किये गये आवेदन की संख्या	लंबित आवेदन की संख्या	वर्ष में निरस्त पंजीकृत व्यवसाय संघ की संख्या	31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में कुल पंजीकृत व्यवसाय संघ की संख्या
1	2	3	4	5	6
60	37	21	02	24	516

Scanned with OKEN Scanner

8. श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों के सेवा शर्तें, मजदूरी, अवकाश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधानों का प्रवर्तन केन्द्र शासन द्वारा प्रभावशील ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति अंतर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:—

8.1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस .

8.1.1 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कारखानों, स्थापनाओं, मोटर परिवहन उपक्रमों, बीड़ी निर्माण ईकाईयों, ठेकेदारों आदि से संबंधित पंजीयन, पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में संशोधन आदि हेतु संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाती है।

8.1.2 विभाग द्वारा ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत रेण्डम पद्धति के आधार पर श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं श्रम निरीक्षकों/श्रम उप निरीक्षकों द्वारा कारखानों/संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा शिकायत या दुर्घटना की स्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति से निरीक्षण किया जाता है।

8.1.3 श्रम अधिनियमों के परिपालन में सुधार एवं सरलीकरण के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्थानों को विभागीय वेबपोर्टल के माध्यम से 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन विवरणी प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।

8.1.4 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्ति को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा में अधिसूचित करते हुए आवेदनों के निराकरण करने की समय—सीमा निर्धारित की गई है।

8.1.5 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण संबंधी प्रावधान समाप्त किया जा चुका है, इससे ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का नवकरण नहीं कराना होगा।

8.1.6 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संधारित किये जाने वाले पंजियों/अभिलेखों के ऑनलाईन/डिजीटल संधारण किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कारखानों/स्थापनाओं को अभिलेख संधारण में सुविधा होगी।

Scanned with OKEN Scanner

8.1.7 अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत स्थापनाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण 45 दिवस के भीतर नहीं होने की स्थिति में स्वमेव (डिम्ड) पंजीयन जारी करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

8.1.8 प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत निरीक्षण के स्थान पर ऐसे श्रेणी के कारखानों/संस्थानों में जिनका श्रम कानून के पालन का रिकार्ड अच्छा है, उन्हें निरीक्षण से पूर्णतः मुक्त रखा जाकर स्वप्रमाणीकरण द्वारा श्रम कानूनों का पालन करने की सुविधा प्रदान की गई है।

8.1.9 निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनाओं के लिए अन्य पक्ष प्रमाणीकरण (Third Party Certification) की सुविधा दी गई जिसके तहत अधिसूचित किया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापना यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.F.A.S.L.I) या सेन्ट्रल ब्यॉलर बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनंदनी निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा। जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय–सीमा 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

8.2 कारखाना का जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

8.2.1 **उच्च जोखिम** :- उच्च जोखिम श्रेणी के कारखानों में खतरनाक एवं अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के कारखानों तथा ऐसे कारखाने जो खतरनाक श्रेणी के न हो किन्तु तालाबंदी, हड़ताल अथवा दुर्घटना हुआ हो, शामिल किया गया है तथा इस श्रेणी के कारखानों में निरीक्षण प्रतिवर्ष शतप्रतिशत किया जाना है।

8.2.2 **मध्यम जोखिम** :- मध्यम जोखिम श्रेणी में ऐसे कारखाने जो खतरनाक प्रकृति के न हो परन्तु 300 या 300 से अधिक श्रमिक हो किन्तु जहां पर किसी भी प्रकार तालाबंदी, हड़ताल अथवा दुर्घटना ना हुआ हो, शामिल किया गया है तथा इस श्रेणी के कारखानों का निरीक्षण 2 साल में शतप्रतिशत किया जाना है।

8.2.3 **निम्न जोखिम** :- निम्न जोखिम श्रेणी में ऐसे कारखाने जो खतरनाक प्रकृति के न हो परन्तु 100 या 100 से अधिक श्रमिक हो किन्तु 300 से कम श्रमिक हों जहां पर किसी भी प्रकार तालाबंदी, हड़ताल अथवा दुर्घटना ना हुआ हो, शामिल किया गया है तथा इस श्रेणी के कारखानों का निरीक्षण 5 साल में शत–प्रतिशत किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

8.3 निरीक्षण प्रणाली

8.3.1 वर्ष 2016 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के परिपलान में विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन रेण्डम निरीक्षण प्रणाली से किया जा रहा है।

8.3.2 मुख्यालय स्तर से निरीक्षण हेतु स्थापनाओं का चयन रेण्डम पद्धति से किया जाकर स्थापनाओं की सूची एवं निरीक्षण हेतु निरीक्षक का नाम वेबपोर्टल के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।

8.3.3 निरीक्षक द्वारा संस्थान के निरीक्षण उपरांत 48 घण्टों के भीतर निरीक्षण टीप को वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

8.3.4 प्रत्येक निरीक्षक का भौगोलिक क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्व संभाग होगा।

8.3.5 संबंधित स्थापना पर लागू समस्त श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया जावेगा एवं कारखाना की स्थिति में कारखाना निरीक्षक एवं श्रम निरीक्षक द्वारा एक साथ निरीक्षण किया जावेगा।

8.3.6 नियोजकों द्वारा 15 दिवस के भीतर उल्लंघनों की पूर्ति कर तदनुसार प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। उल्लंघनों की पूर्ति होने की स्थिति में प्रकरण समाप्त कर दिया जावेगा।

8.3.7 पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में निरीक्षक द्वारा नियमानुसार न्यायालय में अभियोजन प्रकरण अथवा दावा प्रकरण प्रस्तुत करेगा।

8.3.8 निरीक्षण की अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही उस जिले के श्रम कार्यालय/उपसंचालक/सहायक संचालक कार्यालय द्वारा की जावेगी जिस जिले में निरीक्षित स्थापना अवस्थित है।

8.4 श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन :-

8.4.1 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2024 में किये गये निरीक्षण एवं अभियोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्न **प्रपत्र – एक** में दर्शित है।

8.4.2 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2024 में न्यायालय में दायर दावा एवं न्यायालय के बाहर कराये गये भुगतान के प्रकरण का विवरण संलग्न **प्रपत्र – दो** में दर्शित है।

8.4.3 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2024 में किये गये ऑनलाईन पंजीयन, अनुज्ञप्ति एवं नवकरण शुल्क की जानकारी **प्रपत्र–तीन** में दर्शित है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र-एक

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संपादित निरीक्षण/अभियोजन का विवरण

(01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	संपादित निरीक्षण संख्या	दायर अभियोजन	निराकृत अभियोजन संख्या	न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत समझौता प्रकरणों की संख्या	वसूल किया गया समझौता राशि
1	2	3	4	5	6	8	9
1	दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	278	68	55	42400	414	155100
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	852	121	126	308600	0	0
3	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	472	1	3	6000	0	0
4	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	402	3	2	140000	0	0
5	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	586	6	9	13500	0	0
6	संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970	259	48	10	45400	0	0
7	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	94	3	3	29000	0	0
8	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	737	36	24	165750	0	0
9	समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976	230	7	16	124000	0	0
10	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	123	5	2	14800	0	0
11	बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम, 1986	3204	362	162	943100	0	0
12	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	8	3	30	30000	0	0
14	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	95	14	10	34100	0	0
15	कारखाना अधिनियम, 1948	1266	373	118	9713500	0	0
	योग	**8606**	**1050**	**570**	**11610150**	**414**	**155100**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र- दो

न्यायालय में दायर दावा एवं न्यायालय के बाहर कराये गये भुगतान के प्रकरण का विवरण

(01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	न्यायालय में दायर दावा प्रकरण					न्यायालय के बाहर भुगतान		
		प्रकरण संख्या	दावा राशि			प्रभावित श्रमिक संख्या	प्रकरण की संख्या	भुगतान राशि	लाभान्वित श्रमिक संख्या
			अंतर की राशि	क्षतिपूर्ति की राशि	कुल राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	3	587890	5878900	6466790	19	31	1820790	266
2	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	23	3530509	35305090	38835599	119	508	22850005	1491
	योग	**26**	**4118399**	**41183990**	**45302389**	**138**	**539**	**24670795**	**1757**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र- तीन

अनुज्ञप्ति, पंजीयन एवं नवकरण शुल्क संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	विवरण	प्राप्त आवेदन संख्या	निरस्त आवेदन संख्या	जारी पंजीयन/ अनुज्ञप्ति संख्या	लंबित आवेदन संख्या	श्रमिक संख्या	शुल्क	प्रतिभूति राशि
1	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	प्रमुख नियोजक का पंजीयन	212	42	164	6	27365	198880	0
		अनुज्ञप्ति नवीन आवेदन	2443	857	1524	62	105222	1496747	105222000
		प्रमुख नियोजक का संशोधन	80	19	54	7	8811	8960	0
		अनुज्ञप्ति में संशोधन आवेदन	272	44	216	12	13249	106876	8823000
2	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	प्रमुख नियोजक का पंजीयन	15	4	10	1	950	3060	0
		नवीन आवेदन	141	40	95	6	5616	25816	842400
		संशोधन	6	0	5	1	552	1400	0
3	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	नियोजक का पंजीयन	27	9	14	4	1108	6710	0
4	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	नियोजक का पंजीयन	881	294	551	36	37713	185600	0
5	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना का पंजीयन	869	303	560	6	16707	19081257	0
		कारखाना लायसेंस का नवीनीकरण	2132	4	2099	29	236112	231085875	0
	योग		**7078**	**1616**	**5292**	**170**	**453405**	**252201181**	**114887400**

Scanned with OKEN Scanner

9. शिकायत निवारण की स्थिति

विभाग को श्रमिकों तथा अन्य प्रतिनिधियों से मजदूरी तथा सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतें सीधे अथवा मुख्यमंत्री जनदर्शन/जनशिकायत (पी.जी.एन.)/ई–समाधान/राज्य शासन/भारत सरकार (पी.एम.ओ.)/सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. व अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है। उक्त शिकायतों का निराकरण मुख्यालय एवं जिला श्रम कार्यालय स्तर पर किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि वर्ष 2024 में शिकायतों के निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	शिकायत का माध्यम	शिकायत संख्या			निराकृत शिकायत संख्या	लंबित शिकायत संख्या (5–6)
		31.12.2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या	01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायत संख्या (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त शिकायत	100	430	530	500	30
2	जनशिकायत (पी.जी.एन.) से प्राप्त शिकायत	103	248	351	336	15
3	ई–समाधान से प्राप्त शिकायत	2	52	54	21	33
4	राज्य शासन एवं भारत सरकार से प्राप्त शिकायत	13	130	143	125	18
5	CPGRAMSसे प्राप्त शिकायत	5	35	40	38	2
6	विभागीय पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त शिकायत	965	2778	3743	3708	35
7	सामान्य शिकायत (अन्य)	724	2053	2777	1862	915
	योग	**1912**	**5726**	**7638**	**6590**	**1048**

Scanned with OKEN Scanner

10. उपादान भुगतान

10.1 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् नियोजक से नियमानुसार उपादान प्राप्त करने की पात्रता होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान नहीं करने अथवा उपादान के संबंध में कर्मचारी एवं नियोजक के मध्य विवाद विद्यमान होने पर, ऐसे विवाद की सुनवाई जिला कार्यालयों में पदस्थ नियंत्रण प्राधिकारियों (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2024 में प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.	उपादान प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या	निर्णित उपादान की राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	आर.आर.सी. हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या	आर.आर.सी. जारी करने संबधी प्रकरणों की संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	जारी आर.आर.सी. की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1801	946	24,01,56,665	944	855	82	48	25	1,55,27,486

10.2 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विभाग के मैदानी कार्यालयों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के अंतर्गत अपील होती है। वर्ष 2024 के पूर्व लम्बित प्रकरण 29 तथा वर्ष 2024 में प्राप्त 64 अपील आवेदनों में से कुल 28 अपील आवेदन प्रकरणों का निराकरण करते हुये ग्रेच्युटी राशि रूपये 81,03,367 के भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया, शेष 65 प्रकरणों में सुनवाई निरंतरित है।

Scanned with OKEN Scanner

11. श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये प्रावधान

11.1 बालक एवं किशोर श्रम

11.1.1 बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसे किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

11.1.2 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर को 107 अधिसूचित प्रक्रियाओं एवं उपजीविकाओं में (खतरनाक क्षेत्र) नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

11.1.3 14 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका को पारिवारिक व्यवसाय (खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर) में शाला समय के उपरांत सहयोग हेतु एवं कला क्षेत्र जैसे – ऑडियो, वीडियो, मनोरंजन अथवा खेल गतिविधियों (जिसमें सर्कस शामिल नहीं है) में बालकों की सुरक्षा के प्रबंध के साथ उनसे कार्य लिया जा सकता है।

11.1.4 अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राज्य के 28 जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देशन पर टॉस्क फोर्स गठित किया गया है, जिसमें श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के कार्यपालिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। राज्य के जिला श्रम कार्यालयों द्वारा उक्त टॉस्क फोर्स के माध्यम से बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सतत् निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है।

वर्ष 2024 में बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अंतर्गत कुल 3204 निरीक्षण किया जाकर, बालक एवं किशोर श्रमिक नियोजित करने वाले दोषी नियोजकों के विरूद्ध 53 अभियोजन तथा उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध 309 अभियोजन दायर किया गया।

11.1.5 बाल श्रम नियोजन की शिकायत के अनुश्रवण एवं निवारण हेतु टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800–2332–197 स्थापित किया गया है।

11.1.6 राज्य के 28 जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति गठित है।

11.1.7 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पुनरीक्षित दिशा–निर्देश 2016 अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में बाल श्रमिकों के प्रारंभिक चिन्हांकन/सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश हैं।

11.1.8 सर्वेक्षण उपरांत पाये गये 05 से 08 आयु वर्ष के काम करने वाले विमुक्त बच्चे सीधे स्कूल से जोड़े जायेंगे।

11.1.9 09 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हांकित बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा – 4 के तहत् समुचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं की कक्षा में प्रविष्ट कराया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11.1.10 जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले सभी बच्चों एवं खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत् 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का चिन्हांकन कर उन्हें कार्य से विमुक्त कर जिला बाल श्रम परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

11.1.11 सर्वेक्षण में चिन्हांकित किशोरों के कौशल विकास हेतु जिला बाल श्रम परियोजना समिति लिंकिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ताकि शासन द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् उन्हें प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त हो सके।

11.2 पेंसिल पोर्टल (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour)

बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और सभी बाल श्रम परियोजना समितियों को जोड़ा गया है। पेंसिल पोर्टल में निम्न घटक हैं :–

1. चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम,
2. शिकायत प्रकोष्ठ,
3. राज्य सरकार,
4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति,
5. परस्पर सहयोग

राज्य के 28 जिलों में बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 (ए) के तहत् जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु पेंसिल पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

11.3 बंधक श्रम

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत् बंधक श्रम प्रथा दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ श्रम कराने वाले नियोजकों को दंडित किये जाने के अलावा संबंधित बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। इस कार्य की सतत् निगरानी के लिये जिला व अनुविभाग स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के 28 जिलों एवं अनुभागों में सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

11.3.1 वर्तमान में केन्द्र क्षेत्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना दिनांक 17.05.2016 तथा संशोधित दिनांक 27.01.2022 से प्रभावशील है। योजनांतर्गत अवमुक्त बंधक श्रमिकों को बंधक श्रमिक अवमुक्त कराने वाले राज्य के जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर गठित बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष से तत्काल सहायता राशि रूपये 20,000 प्रति श्रमिक के मान से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकता अनुसार इससे अधिक राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, जिसका समायोजन पुनर्वास सहायता राशि से किया जावेगा। राज्य के 28 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास स्थायी कोष गठित है।

Scanned with OKEN Scanner

11.3.2 17 मई 2016 के पश्चात् अन्य राज्यों से अवमुक्त होकर गृह राज्य छत्तीसगढ़ आये 1298 बंधक श्रमिकों में से 1024 बंधक श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि प्रदाय की गई है, शेष में कार्यवाही निरंतरित है।

11.3.3 केन्द्र क्षेत्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत देय पुनर्वास सहायता राशि निम्नानुसार प्रावधानित है:–

1. वयस्क विमुक्त प्रति बंधक श्रमिक – रूपये 01 लाख।
2. विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/भिक्षावृत्ति से विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/विमुक्त महिला बंधक श्रमिक – रूपये 02 लाख रूपये प्रति श्रमिक।
3. वेश्यावृत्ति/मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेन्डर, महिला एवं बच्चे विमुक्त होने पर – रूपये 03 लाख प्रति श्रमिक।

11.3.4 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं जैसे – प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जन धन योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना इत्यादि में प्राथमिकता दी जाती है।

11.3.5 विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पात्रतानुसार अवमुक्त बंधक श्रमिकों का पंजीयन कर मंडल के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभांवित किया जाता है।

11.3.6 केन्द्र क्षेत्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु व्यय सीमा राशि रूपये 4.50 लाख निर्धारित है।

11.3.7 राज्य के 19 जिलों क्रमशः धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, बालोद, सरगुजा, कबीरधाम, बेमेतरा, बस्तर, कोण्डागांव, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, कोरिया, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में बंधक श्रमिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कोई भी बंधक श्रमिक नहीं पाया गया है।

12. श्रम यशस्वी पुरस्कार

- श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम विभाग द्वारा स्व. महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति "श्रम यशस्वी" पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत पुरस्कार राशि रूपये 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2023–24 के लिए राज्य शासन द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार राठौर तथा शोभा सिंह एवं ललित कुमार नायक (संयुक्त रूप से) को पुरस्कार प्रदान किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

13. न्यूनतम वेतन

13.1 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती है। प्रत्येक छःमाही (01 अप्रैल से 30 सितंबर तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च की स्थिति में) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है।

13.1.1 सामान्य 45 नियोजन (भाग - एक) में प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	2628.00	101.08	10948.00	421
		ब	8060.00	310.00	2628.00	101.08	10688.00	411
		स	7800.00	300.00	2628.00	101.08	10428.00	401
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	2628.00	101.08	11598.00	446
		ब	8710.00	335.00	2628.00	101.08	11338.00	436
		स	8450.00	325.00	2628.00	101.08	11078.00	426
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	2628.00	101.08	12378.00	476
		ब	9490.00	365.00	2628.00	101.08	12118.00	466
		स	9230.00	355.00	2628.00	101.08	11858.00	456
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	2628.00	101.08	13158.00	506
		ब	10270.00	395.00	2628.00	101.08	12898.00	496
		स	10010.00	385.00	2628.00	101.08	12638.00	486

13.1.2 कृषि में नियोजन (भाग - दो) में प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7
अकुशल	6900.00	230.00	2065.00	68.83	8965.00	298.83 (299)

Scanned with OKEN Scanner

13.1.3 शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई मत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	2628.00	87.60	10948.00	364.93 (365)
		ब	8060.00	268.67	2628.00	87.60	10688.00	356.27 (356)
		स	7800.00	260.00	2628.00	87.60	10428.00	347.60 (348)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	2628.00	87.60	11598.00	386.60 (387)
		ब	8710.00	290.33	2628.00	87.60	11338.00	377.93 (378)
		स	8450.00	281.67	2628.00	87.60	11078.00	369.27 (369)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	2628.00	87.60	12378.00	412.60 (413)
		ब	9490.00	316.33	2628.00	87.60	12118.00	403.93 (404)
		स	9230.00	307.67	2628.00	87.60	11858.00	395.27 (395)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	2628.00	87.60	13158.00	438.60 (439)
		ब	10270.00	342.33	2628.00	87.60	12898.00	429.93 (430)
		स	10010.00	333.67	2628.00	87.60	12638.00	421.27 (421)

13.2 जोन का विवरण

13.2.1 जोन ''अ''

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई–चरौदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि0मी0 तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिये अनुज्ञप्ति ली गयी है।

13.2.2 जोन ''ब''

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि0मी0 तक का क्षेत्र।

13.2.3 जोन ''स''

- जोन 'अ' एवं 'ब' में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।

Scanned with OKEN Scanner

14. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़

14.1 उद्देश्य

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कल्याण से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है।

14.2 संरचना

श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक अधिसूचित किया गया है तथा समस्त उप संचालकों को उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं समस्त सहायक संचालकों को कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

14.3 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा प्रवर्तनीय अधिनियम

- कारखाना अधिनियम, 1948
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण एवं आयात नियम, 1989
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना तैयारी एवं अनुक्रिया) नियम, 1996

14.3.1 कारखाना अधिनियम, 1948 :– यह अधिनियम निम्नलिखित संस्थानों में प्रभावशील होता है :–

(अ) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 10 या 10 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर शक्ति (मानव अथवा पशु द्वारा उत्पन्न शक्ति को छोड़कर) के उपयोग से कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(ब) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 20 या 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर बिना शक्ति के उपयोग के विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

(स) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत् राज्य शासन द्वारा घोषित विनिर्माण प्रक्रिया पर भी यह अधिनियम प्रभावशील होता है, चाहे इन कारखानों में श्रमिकों का नियोजन 10 से कम ही क्यों न हो।

(द) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत् राज्य शासन द्वारा घोषित निम्न विनिर्माण प्रक्रियाओं पर 10 श्रमिक से कम श्रमिक नियोजित होने पर अधिनियम प्रभावशील है, जिसमें निम्नवत विनिर्माण प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं:—

राईस मिलिंग, दाल मिलिंग, ऑयल मिलिंग, आरा मशीन, स्लेट पेन्सिल निर्माण, एस्बेस्टस् निर्माण, चूना निर्माण, रासायनिक कारखाने (जिनमें विषैली या अत्यधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक प्रकृति के रसायनों का भण्डारण या उपयोग होता है), स्टोन क्रशिंग और मिनरल पल्वराईजिंग प्रोसेस, गन्ना प्रसंस्करण एवं गुड़ उत्पादन प्रक्रिया।

14.3.2 कारखाना अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान

- कारखाने का कार्यवातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित मेंटेन किया जाना।
- श्रमिकों को कार्य अनुरूप उपयुक्त सुरक्षा उपकरण जैसे – जूते, दस्ताने, हेलमेट, फेसशील्ड, ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सेफ्टीबेल्ट, फर्नेस पर कार्य करने के लिए हीट रजिस्टेंस एप्रान्स, लेग गार्ड, हीट रजिस्टेंस दस्ताने, केमिकल्स हेण्डलिंग एवं प्रोसेस पर कार्यरत श्रमिकों को गमबूट्स, रबर एप्रान्स, रबर हेण्डग्लोब्स, केमिकल सेफ्टी गॉगल्स ए फेस शील्ड आदि उपलब्ध कराया जाना।
- 250 से ज्यादा श्रमिक नियोजन वाले कारखानों में केंटीन की व्यवस्था करना।
- 20 दिन पर श्रमिकों को 01 दिन का संवैतनिक अवकाश दिया जाना।
- ओव्हर टाईम कार्य के लिए श्रमिकों को दोगुने दर से मजदूरी भुगतान।
- मशीनों के समस्त चलायमान खतरनाक हिस्सों को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित करना।
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्यरत समस्त श्रमिकों का उनके नियोजन के पूर्व तथा वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना।

14.4 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा अधिसूचित व्यवसायजन्य बीमारी होने पर संबंधित को अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा की पात्रता है। मुआवजा के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, आहत/मृत/प्रभावित कर्मचारी अथवा उनके आश्रित के द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त (श्रम न्यायालय) में दावा दायर किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

14.5 पंजीकृत कारखानों की जानकारी

14.5.1 प्रदेश में दिनाँक 31.12.2024 तक कुल 6841 कारखाने पंजीकृत है। इनमें से 32 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के, 915 खतरनाक श्रेणी के एवं 5894 गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानें हैं। उक्त कारखानों में लगभग 4.08 लाख कर्मकार नियोजित हैं।

14.5.2 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी तथा खतरनाक श्रेणी के कारखानों में होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया से तथा इनमें उपयोग हो रहे रसायनों से श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बाबत् इन कारखानों में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनवाए जाते हैं। इन कारखानों में बनाए गए ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल भी कराया जाता है, जिससे इन प्लान की प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन होता रहे।

14.5.3 प्रदेश में स्थापित कारखानों में से MSIHC Rules, 1989 के अंतर्गत् अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के 32 कारखानें प्रदेश के 08 जिलों में स्थित है।

14.6 इण्डस्ट्रीयल हाईजीन लैबोरेटरी

14.6.1 रायपुर में इण्डस्ट्रीयल हाईजीन लैबोरेटरी की स्थापना 2008 में की गई है। हाईजीन लैबोरेटरी में विभिन्न तरह के रसायनों एसिड फ्यूम्स्, मेटल फ्यूम्स्, दूषित वायु, धूल एवं जल का विश्लेषण करने हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं।

14.6.2 विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों में जांच के दौरान कार्यवातावरण के प्रदूषको का नमूना एकत्र कर हाईजिन लैब में नमूना का विश्लेषण उपरांत कारखानों के कार्यवातावरण मे प्रदूषकों के स्तर को ज्ञात किया जाता है। विश्लेषण के परिणाम पश्चात् मानक स्तर से अधिक पाये जाने पर प्रदूषकों का स्तर नियंत्रित किये जाने हेतु अभियांत्रिकीय उपाय, प्रशासनिक उपाय एवं श्रमिकों को सुसंगत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

14.6.3 कारखाने के कार्यवातावरण द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं व्यवसायजन्य बीमारियों की पहचान की जाकर व्यवसायजन्य बीमारी के लक्षण पाये जाने पर ऐसे श्रमिकों के कार्यस्थल में परिवर्तन करवाया जाता है।

14.6.4 कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानानुसार जोखिमपूर्ण कारखाने में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण कारखानों मे नियुक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी से कराये जाने एवं स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत संबंधित रिपोर्ट फॉर्म–21 में विभागीय वेबपोर्टल पर कारखाना प्रबंधक द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

14.6.5 राज्य में वर्ष 2024 में 73 कारखानों में हाईजीन डेटाबेस सर्वे किया जाकर कारखानों में कार्यवातावरण में उपस्थित हानिकारक प्रदूषकों की जांच की गई तथा संबंधित कारखानों को विभिन्न नियंत्रक उपायों के माध्यम से मानक स्तर पर रखने के सुझाव दिए गए।

14.7 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य

- प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रतिवर्ष 4 मार्च को ''औद्योगिक सुरक्षा दिवस'' मनाने के लिए दिशा-निर्देश दिया जाता है, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन/निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव/संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्निशमन प्रशिक्षण एवं ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान की मॉक-ड्रील कराई जाती है।
- कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानें एवं सिलिकोसिस प्रोन कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।
- फ्राक लिफ्ट, वाहन क्रेन चलाने वाले श्रमिकों की आंखों की जॉच कराया जाना सुनिश्चित करना।
- जोखिमपूर्ण कारखानो में ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कारखानों में स्थापित मशीने जैसे – क्रेन, लिफ्ट, सिलिंग प्रेशर वैसल्स आदि का मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करना।
- ठेका श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बड़े कारखानों में ठेका श्रमिकों का प्रशिक्षण हेतु विस्तृत माहवार कैलेण्डर तैयार कराया गया है, जिससे कि कारखानों में नियुक्त होने वाले ठेका श्रमिकों को उपयुक्त एवं सही प्रकार की नियमित प्रशिक्षण कारखानों के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हो सके। वर्ष 2024 में राज्य के कारखानों में 3,06,683 ठेका श्रमिक प्रशिक्षण से लाभांवित हुए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

14.6.5 राज्य में वर्ष 2024 में 73 कारखानों में हाईजीन डेटाबेस सर्वे किया जाकर कारखानों में कार्यवातावरण में उपस्थित हानिकारक प्रदूषकों की जांच की गई तथा संबंधित कारखानों को विभिन्न नियंत्रक उपायों के माध्यम से मानक स्तर पर रखने के सुझाव दिए गए।

14.7 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य

- प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रतिवर्ष 4 मार्च को "औद्योगिक सुरक्षा दिवस" मनाने के लिए दिशा-निर्देश दिया जाता है, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन/निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव/संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्निशमन प्रशिक्षण एवं ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान की मॉक-ड्रील कराई जाती है।
- कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानें एवं सिलिकोसिस प्रोन कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।
- फ्राक लिफ्ट, वाहन क्रेन चलाने वाले श्रमिकों की आंखों की जॉच कराया जाना सुनिश्चित करना।
- जोखिमपूर्ण कारखानो में ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कारखानों में स्थापित मशीने जैसे – क्रेन, लिफ्ट, सिलिंग प्रेशर वैसल्स आदि का मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करना।
- ठेका श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बड़े कारखानों में ठेका श्रमिकों का प्रशिक्षण हेतु विस्तृत माहवार कैलेण्डर तैयार कराया गया है, जिससे कि कारखानों में नियुक्त होने वाले ठेका श्रमिकों को उपयुक्त एवं सही प्रकार की नियमित प्रशिक्षण कारखानों के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हो सके। वर्ष 2024 में राज्य के कारखानों में 3,06,683 ठेका श्रमिक प्रशिक्षण से लाभांवित हुए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

14.8 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024 में किये गए कार्यों का विवरण

14.8.1 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वर्ष 2024 में किये गये निरीक्षण / दायर अभियोजन की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	निरीक्षण	दायर अभियोजन	निर्णित प्रकरण	अर्थदण्ड राशि (रूपयों में)
2024	1266	373	118	97,13,500

14.8.2 **दुर्घटना की जाँच** :- प्रदेश में घटित प्राणान्तक एवं गम्भीर दुर्घटना की जाँच में दोषी पाए गए कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण संबंधित श्रम न्यायालय में दायर किये जाते हैं। वर्ष 2024 में घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्राणांतक दुर्घटना		गम्भीर दुर्घटना		साधारण दुर्घटना
	दुर्घटना की संख्या	मृत श्रमिकों की संख्या	गम्भीर दुर्घटना की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या	
2024	103	119	64	80	97

14.9 **राजस्व** :- प्रदेश में वर्ष 2024 में नव स्थापित एवं पूर्व से कार्यरत् कारखानों से बतौर लायसेंस शुल्क कुल राशि रूपये 26,42,68,750 की राजस्व प्राप्ति हुई है।

Scanned with OKEN Scanner

15. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें

क्र.	प्रदाय की जाने वाली सेवायें	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)
1	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन	15 दिवस
2	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन का संशोधन	15 दिवस
3	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
4	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का संशोधन आवेदन	15 दिवस
5	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15 दिवस
6	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन	15 दिवस
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
8	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15 दिवस
9	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत – अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
10	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत – पंजीयन आवेदन	15 दिवस
11	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 1948 के अंतर्गत – नक्शे का अनुमोदन (20 या 20 से अधिक)	60 दिवस
12	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 1948 के अंतर्गत – नक्शे का अनुमोदन (20 से कम)	60 दिवस
13	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल – हितग्राहियों के पंजीयन	30 दिवस
14	छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल – मिनीमाता महतारी जतन योजना	30 दिवस
15	छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल – मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	30 दिवस
16	असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल – हितग्राहियों के पंजीयन	30 दिवस
17	असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल – असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना	30 दिवस
18	छ.ग. श्रम कल्याण मंडल –मृत्यु सहायता योजना	07 दिवस
19	कारखाना लाईसेंस नवीनीकरण कार्य	30 दिवस
20	प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जांच	07 दिवस
21	प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 दिवस
22	गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जांच	15 दिवस
23	गंभीर दुर्घटना की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 दिवस
24	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	30 दिवस
25	कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय स्तर पर चिकित्सा परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	03 दिवस
26	कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 दिवस
27	कर्मचारी राज्य बीमा संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 दिवस

Scanned with OKEN Scanner

16. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं के नियोजकों तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनायें संचालित की जाती है।

16.1 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 राज्य के ऐसी समस्त स्थापनाओं पर प्रभावशील होता है, जिनमें विगत 12 माह में किसी भी कार्य दिवस में 9 से अधिक कर्मकार नियुक्त हों।

16.2 मंडल द्वारा संस्थानों से 60/- रूपये (प्रति छमाही) अभिदाय प्रति श्रमिक संकलित किया जाता है, जिसमें से 45/- रूपये नियोक्ता का एवं 15/- रूपये कर्मकार का अभिदाय होता है।

16.3 **मंडल को प्राप्त अभिदाय** :- मंडल को वर्ष 2024 में 5,52,34,035 रूपये अभिदाय प्राप्त हुआ है।

16.4 **पंजीयन** :- अभिदाय दाता संस्थानों द्वारा अपने नियोजित श्रमिकों का विवरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत की जाती है, जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते है। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 2,26,270 है।

16.5 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

16.5.1 शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 3,000/- से 30,000/- तक।

पात्रता : मण्डल को देय अभिदायदाता संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र/पुत्रियों जो पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। कक्षा 01 से स्नाकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

16.5.2 श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 50,000/-।

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी।
(ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत श्रमिक योजना अंतर्गत पात्र नहीं है।)

Scanned with OKEN Scanner

16.5.3 निःशुल्क सायकल वितरण योजना

हितलाभ : एक सायकल (प्रति हितग्राही)।

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 3 वर्षों से अभिदाय देने वाले श्रमिकों को जीवनकाल में एक बार।

16.5.4 श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण

हितलाभ : मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के पत्नी ए... को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण।

16.5.5 निःशुल्क सिलाई मशीन योजना

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही)।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के पत्नी एवं पु... मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण उ... परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी।

16.5.6 निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही) हेतु सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अनुसार राशि प्रदाय की जाती है।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से अभिदायदाता दिव्यांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।

16.5.7 मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड जैसे – फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्ट्रमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित ट्रेड में प्रशिक्षण। किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत श्रमिकों को उनके कार्य से संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र दिया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

16.5.8 स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण

पात्रता : प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयाँ एवं चश्मा वितरण।

16.5.9 श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता

पात्रता : विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों/संस्थानों मे कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय श्रमिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन।

16.5.10 मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

हितलाभ : रूपये 5,000/– से 1,00,000/– तक।

पात्रता : मंडल अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं/कारखानों में कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों के पुत्र/पुत्री।

16.5.11 खेल-कूद प्रोत्साहन योजना

हितलाभ : रूपये 5,000/– से 1,50,000/– तक।

पात्रता : मंडल अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं/कारखानों में कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों के पुत्र/पुत्री।

16.5.12 निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना

हितलाभ : चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे PSC, CG VYAPAM, SSC, IBPS, RAILWAY, POLICE ENTRANCE की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से 10 माह तक की अवधि के लिए निःशुल्क कोचिंग का अवसर वर्ष में केवल एक बार प्रदान किया जावेगा, परन्तु किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जावेगा।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत अभिदायदाता श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा, जो कि संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

Scanned with OKEN Scanner

16.5.13 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत संगठित श्रमिक।

16.5.14 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएँ जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील है, उनमें कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

16.6 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम/पता
01	रायपुर	4	सांकरा, रायपुर
			नवापारा
			बाना
			उरला
02	दुर्ग	3	खुर्सीपार, भिलाई
			गनियारी (रसमड़ा)
			छावनी, भिलाई
03	राजनांदगांव	2	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
			औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
04	बिलासपुर	3	तिफरा
			औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
			जरहाभाठा
05	जांजगीर–चांपा	1	भोजपुर
06	कोरबा	3	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.परिसर
			सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम)
			औद्योगिक क्षेत्र बालको
07	रायगढ़	1	मधुबनपारा
08	महासमुंद	1	एकता चौक
	योग	18	

Scanned with OKEN Scanner

16.5.13 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत संगठित श्रमिक।

16.5.14 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएँ जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील है, उनमें कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

16.6 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम/पता
01	रायपुर	4	सांकरा, रायपुर
			नवापारा
			बाना
			उरला
02	दुर्ग	3	खुर्सीपार, भिलाई
			गनियारी (रसमड़ा)
			छावनी, भिलाई
03	राजनांदगांव	2	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
			औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
04	बिलासपुर	3	तिफरा
			औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
			जरहाभाठा
05	जांजगीर–चांपा	1	भोजपुर
06	कोरबा	3	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.परिसर
			सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम)
			औद्योगिक क्षेत्र बालको
07	रायगढ़	1	मधुबनपारा
08	महासमुंद	1	एकता चौक
योग		18	

Scanned with OKEN Scanner

16.5.13 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत संगठित श्रमिक।

16.5.14 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएँ जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील है, उनमें कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

16.6 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम/पता
01	रायपुर	4	सांकरा, रायपुर
			नवापारा
			बाना
			उरला
02	दुर्ग	3	खुर्सीपार, भिलाई
			गनियारी (रसमड़ा)
			छावनी, भिलाई
03	राजनांदगांव	2	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
			औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
04	बिलासपुर	3	तिफरा
			औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
			जरहाभाठा
05	जांजगीर–चांपा	1	भोजपुर
06	कोरबा	3	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.परिसर
			सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम)
			औद्योगिक क्षेत्र बालको
07	रायगढ़	1	मधुबनपारा
08	महासमुंद	1	एकता चौक
	योग	18	

Scanned with OKEN Scanner

16.5.13 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत संगठित श्रमिक।

16.5.14 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएँ जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील है, उनमें कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

16.6 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम/पता
01	रायपुर	4	सांकरा, रायपुर
			नवापारा
			बाना
			उरला
02	दुर्ग	3	खुर्सीपार, भिलाई
			गनियारी (रसमड़ा)
			छावनी, भिलाई
03	राजनांदगांव	2	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
			औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
04	बिलासपुर	3	तिफरा
			औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
			जरहाभाठा
05	जांजगीर–चांपा	1	भोजपुर
06	कोरबा	3	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.परिसर
			सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम)
			औद्योगिक क्षेत्र बालको
07	रायगढ़	1	मधुबनपारा
08	महासमुंद	1	एकता चौक
	योग	18	

Scanned with OKEN Scanner

16.7 मंडल द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4
1	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	5,53,724	2,63,83,288
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	4115	2,10,32,000
3	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	2283	84,28,993
4	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	562	44,39,800
5	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	10,000
6	खेल–कूद प्रोत्साहन योजना	3	85,000
	योग	5,60,689	6,03,79,081

टीप :– सरल क्रमांक 1 में उल्लेखित योजनांतर्गत 5,53,724 यूनिट भोजन श्रमिकों को प्रदाय किया गया है।

17. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

17.1 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सहपठित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 अंतर्गत छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन दिनांक 04.01.2011 को किया गया।

17.2 **(अ) असंगठित कर्मकार का आशय है -**

- स्वनियोजित कर्मकार,
- घरों में काम करने वाले,
- मजदूरी पर नियोजित,
- कृषि श्रमिक अथवा भूमिहीन या सीमान्त कृषक,
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, जिनकी मासिक आय शहरी क्षेत्र में 15000 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10000 रूपये से कम हो।

(ब) निम्न अधिनियम की परिधि में आने वाले कर्मकार असंगठित कर्मकार नहीं होंगे -

- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

17.3 **मंडल के कार्य**

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् असंगठित कर्मकारों का पंजीयन तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु कल्याणकारी योजनाएं बना कर क्रियान्वयन करना।

Scanned with OKEN Scanner

17.4 असंगठित कर्मकारों का प्रवर्ग

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित 56 प्रवर्ग का विवरण :–

1. धोबी, 2. दर्जी, 3. माली, 4. मोची 5. नाई, 6 बुनकर, 7. रिक्शा चालक, 8. घरेलू कामगार, 9. कचरा बिनने वाले, 10. हाथ ठेला चलाने वाले, 11. फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता, 12. चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, 13. फुटपाथ व्यापारी, 14. हमाल, कुली रेजा, 15. जनरेटर/लाईट उठाने वाले, 16. केटरिंग में कार्य करने वाले, 17. फेरी लगाने वाले, 18. मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले, 19. गैरेज मजदूर, 20. परिवहन में लगे मजदूर, 21. ऑटो चालक, 22. सफाई कामगार 23. ढोल/बाजा बजाने वाले, 24 टेंट हाउस में काम करने वाले, 25. वनोपज में लगे मजदूर, 26. मछुआरा, 27. दाई का काम करने वाली, 28. तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, 29. तेल पेरने वाले, 30. अगरबत्ती बनाने वाले, 31. गाड़ीवान, 32. घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, 33. भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), 34. पशुपालन/मत्स्य पालन, मुर्गी/बतख पालन में लगे मजदूर, एवं करने वाले, 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर, 36. खेतीहर मजदूर, 37. राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले, 38. मितानीन, 39. नाव चलाने वाले (नाविक), 40. कंसारी, 41. नट–नटनी 42. देवार 43. शिकारी, 44. अन्य घुमंतु जाति, 45. खैरवार, 46. रसोईया, 47. हड्डी बिनने वाले (हड्बिन्ने) 48. काष्ठागार में काम करने वाले हमाल, 49. समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर), 50. सिनेमा घर में कार्यरत लाईटमैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन, 51. सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, 52. कोटवार, 53. ठेका मजदूर (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की परिधि में आने वाले ठेका मजदूर तथा ई0एस0आई0 एवं भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर), 54. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 55. आंगनबाड़ी सहायिका, 56. सेक्स वर्कर।

Scanned with OKEN Scanner

17.5 असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु प्रक्रिया

- पंजीयन हेतु किसी भी लोक सेवा केन्द्र, जिला श्रम कार्यालय, श्रम संसाधन केन्द्र, श्रमेव जयते मोबाईल एप अथवा विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन आवेदन किया जा सकता है।
- पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–
  - स्व–घोषणा प्रमाण पत्र
  - आधार कार्ड।
  - लाईव फोटो।
  - मोबाईल नंबर।
  - बैंक पासबुक।
  - आयु प्रमाण पत्र (अंक सूची, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या जन्म प्रमाण–पत्र)।
  - आय प्रमाण पत्र।
  - राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
  - आयुष्मान कार्ड (वैकल्पिक)।
- पंजीयन शुल्क – निःशुल्क।

17.6 पंजीकृत असंगठित कर्मकार :-

क्र.	विवरण	वर्ष 2024 (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)	मंडल गठन से दिनांक 31.12.2024 तक
1	कुल पंजीकृत हितग्राही	1,07,632	18,48,322
2	आधार लिंकिंग	1,07,632	16,07,316
3	बैंक अकाउंट लिंकिंग	1,07,632	16,17,793
4	मोबाईल नंबर लिंकिंग	1,07,632	14,50,641

Scanned with OKEN Scanner

17.7 मंडल में पंजीकृत कर्मकारों की जिलावार जानकारी :-

क्र.	जिला	दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीयन				मंडल गठन से दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक कुल पंजीयन			
		महिला	पुरुष	ट्रांसजेंडर	योग	महिला	पुरुष	ट्रांसजेंडर	योग
1	रायपुर	4,061	760	0	4,821	74,408	38,880	60	1,13,348
2	बलौदाबाजार	1,799	465	0	2,264	29,363	13,165	272	42,800
3	गरियाबंद	2,667	1,228	1	3,896	36,411	26,486	11	62,908
4	धमतरी	3,952	1,812	1	5,765	66,842	59,981	9	1,26,832
5	महासमुंद	3,085	488	0	3,573	25,813	8,083	3	33,899
6	बिलासपुर	6,337	952	0	7,289	99,261	27,843	29	1,27,133
7	मुंगेली	1,957	225	1	2,183	32,244	13,110	4	45,358
8	कोरबा	5,999	768	0	6,767	57,887	24,016	40	81,943
9	जांजगीर–चांपा	19,082	15,411	17	34,510	50,686	25,840	19	76,545
10	रायगढ़	3,090	893	1	3,984	48,083	24,164	12	72,259
11	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	889	60	0	949	8,918	2,877	1	11,796
12	बस्तर	1,313	139	1	1,453	39,184	19,086	14	58,284
13	कोण्डगांव	502	53	2	557	16,126	12,005	5	28,136
14	कांकेर	1,430	194	1	1,625	20,532	12,019	3	32,554
15	दंतेवाड़ा	930	255	1	1,186	11,071	4,931	1	16,003
16	सुकमा	265	87	0	352	7,830	2,142	0	9,972
17	नारायणपुर	72	26	0	98	3,522	3,081	0	6,603
18	बीजापुर	126	31	1	158	5,234	4,010	2	9,246
19	सरगुजा	2,645	1,392	1	4,038	48,885	12,503	17	61,405
20	सूरजपुर	1,260	212	0	1,472	28,489	10,201	3	38,693
21	बलरामपुर	987	109	0	1,096	19,005	9,817	6	28,828
22	कोरिया	204	19	0	223	11,060	3,615	4	14,679
23	जशपुर	1,384	263	0	1,647	19,569	8,959	2	28,530
24	दुर्ग	6,573	1,021	0	7,594	1,61,604	84,343	73	2,46,020
25	राजनांदगांव	1,109	372	0	1,481	74,652	42,375	3	1,17,030
26	बालोद	1,217	117	0	1,334	51,516	33,055	18	84,589
27	बेमेतरा	1,697	315	0	2,012	20,812	16,895	3	37,710
28	कबीरधाम	359	91	0	450	32,597	21,960	7	54,564
29	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	453	32	0	485	23,777	17,569	5	41,351
30	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	556	148	0	704	38,366	20,978	4	59,348
31	सक्ती	1,096	177	0	1,273	17,718	5,529	2	23,249
32	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	1,528	173	0	1,701	20,300	9,669	5	29,974
33	सारंगढ़–बिलाईगढ़	493	199	0	692	18,892	7,838	3	26,733
	कुल	**79,117**	**28,487**	**28**	**1,07,632**	**12,20,657**	**6,27,025**	**640**	**18,48,322**

Scanned with OKEN Scanner

17.8 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

17.8.1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल।

पात्रता :
- 18 से 40 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत महिला कर्मकार।
- मंडल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त करने वाले हितग्राही अपात्र होंगे।

17.8.2 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना

हितलाभ : सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा सिलाई मशीन हेतु निर्धारित राशि।

पात्रता :
- पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार जो 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो एवं सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) के काम में संलग्न हो।
- मंडल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

17.8.3 ई-रिक्शा सहायता योजना

हितलाभ : मंडल का अंशदान राशि रूपये 50,000/– एवं हितग्राही का अंशदान राशि रूपये 10,000/– शेष बकाया राशि हितग्राही द्वारा स्वयं बैंक से ऋण के माध्यम से देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु के पंजीकृत सायकल रिक्शा/ऑटो चालक।

17.8.4 असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार की मृत्यु पर रू. 1 लाख एवं स्थायी दिव्यांगता में 50,000 रूपये।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

17.8.5 कचरा बीनने वाले हितग्राही हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत कचरा बीनने वाले कर्मकारों को सुरक्षा उपकरण (दस्ताना, जूता एवं रेनकोट)।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत कचरा बीनने वाले कर्मकार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

17.8.6 असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल।

पात्रता :
- पंजीकृत समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.7 असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो भी कम हो का भुगतान।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

17.8.8 मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष आयु के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.9 मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टॉर्च सहायता योजना

हितलाभ : एक नग सायकल एवं टॉर्च हेतु 750 रूपये

पात्रता :
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत कोटवार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.10 फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : इलेक्ट्रानिक तराजू।

पात्रता : पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता।

Scanned with OKEN Scanner

17.8.11 धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 1500 तक की सामग्री – इलेक्ट्रॉनिक/कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थप्पी/कुटेला)।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत धोबी कर्मकार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.12 नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 1500 तक की सामग्री कैंची, स्ट्रेट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बॉटल एवं शेविंग ब्रश सहित नाई किट।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष आयु के ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत नाई।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.13 असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : 500 रूपये से 8000 रूपये तक कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति।

पात्रता :
- पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत प्रथम 2 पुत्र/पुत्री को।
- शासकीय विभाग/संस्था की अन्य समानांतर योजनांतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

17.8.14 असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना

हितलाभ : रुपये 20,000 की सहायता राशि।

पात्रता : पंजीकृत महिला कर्मकार को दो प्रसव हेतु लाभ देय।

17.8.15 सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना

हितलाभ : सी.एस.एस.डी.ए. द्वारा चिन्हांकित ट्रेडस् में व्ही.टी.पी. के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण। प्रशिक्षणरत कर्मकार को अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन की दर से मानदेय भुगतान।

पात्रता :
- 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

17.8.20 हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी हेतु 500 रूपये देय।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष के आयु के पंजीकृत हमाल।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.21 घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना

हितलाभ : घरेलू महिला कामगार को 01 नग सायकल तथा छतरी, चप्पल/जूता हेतु 500 रूपये देय।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है।

17.8.22 घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परि सशक्तिकरण योजना

हितलाभ : सी.एस.एस.डी.ए. द्वारा चिन्हांकित ट्रेडस् में व्ही.टी.पी. के माध्यम से क प्रशिक्षण।

पात्रता : 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार, ठेका श्र हमाल कामगार।

17.8.23 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : ठेका एवं हमाल श्रमिक को किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो भी कम हो का भुगतान।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

17.8.24 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

Scanned with OKEN Scanner

17.8.25 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : छत्तीसगढ़ राज्य के वे असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई है, इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र होंगे। श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।

17.9 योजनांतर्गत लाभान्वित असंगठित कर्मकारों एवं व्यय राशि का विवरण :-

(1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक)

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित असंगठित कर्मकार	व्यय राशि
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	32	1,03,768
2	मुख्यममंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	18	1,42,200
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	3	1,50,000
4	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले हेतु सायकल सहायता योजना	1	3,697
5	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना	2	8,394
6	ई–रिक्शा सहायता योजना	23	11,50,000
7	फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना	7	4,900
8	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	1,982	19,81,50,000
9	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना एवं पुनर्वास सहायता योजना	1	3,00,000
10	असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना	15,215	1,54,20,100
11	असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना	29,252	58,50,40,000
12	सफाई कर्मकार पुत्र–पुत्री सायकल सहायता योजना	7	25,942
13	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	24	24,000
14	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	8	5,000
	योग	**46,575**	**80,05,28,001**

टीप – शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत संचालित भोजन केन्द्रों के माध्यम से 3,99,826 यूनिट भोजन असंगठित कर्मकार द्वारा ग्रहण किये है।

Scanned with OKEN Scanner

18. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

छ0ग0 शासन द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितम्बर 2008 को किया गया।

18.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्न अधिनियम प्रवर्तित किये गये है :-

(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

18.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य

- भवनों, मार्गों, सड़कें, रेल्वे मार्ग व ट्रेक, ट्रामवे, हवाई मैदान, सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संकर्म, तेल तथा गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाईनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, बांध, नहर, जलाशय, सुरंग, पुल, पाइप लाइन, मीनार, शीतलन मीनार, पारेषण, सन्निर्माण, परिर्वतन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना इत्यादि कार्य सम्मिलित है।
- ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खदान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों।

18.3 निर्माण श्रमिक से तात्पर्य

किसी भवन या निर्माण कार्य में अकुशल या कुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षणिक, तकनीकी अथवा लिपकीय कार्य भाड़े या पारिश्रमिक के लिये करता हो, किन्तु इसमें प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है।

18.4 निर्माण श्रमिक के प्रवर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न अधिसूचित 60 प्रवर्ग का विवरण :–

1. पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले, 2. राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले 3. बढ़ई (कारपेंटर) लकड़ी की सामग्रियों में पेंटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार, 4. पुताई करने वाले (पेंटर), 5. फिटर या बार वेंडर, 6. सड़क के पाईप मरम्मत

Scanned with OKEN Scanner

कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 7. इलेक्ट्रिशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 8. मैकेनिक, 9. कुएं खोदने वाले, 10. वेल्डिंग करने वाले, 11. मुख्य मजदूर, 12. मजदूर (रेजा–कुली), 13. स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे), 14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, 15. कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, 16. हथौड़ा चलाने वाले, 17. छप्पर डालने वाले, 18. लोहार, 19. लकड़ी चीरने वाले, 20. कॉलकर, 21. मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित), 22. पंप ऑपरेटर, 23. मिक्सर मशीन चलाने वाले, 24. रोलर चालक, 25. बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि मे लगे खलासी, 26. चौकीदार, एवं सिक्योरिटी गार्ड, 27. मोजाईक पॉलिश करने वाले, 28. सुरंग कर्मकार, 29. संगमरमर/कड़प्पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 30. सड़क कर्मकार, 31. चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार, 32. सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, 33. चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार, 34. बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, 35. बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, 36. ईट भट्ठा, खपरा, फ्लाई एश, टाईल्स मजदूर, 37. पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, 38. बंसोड़, 39. कुम्हार, 40. सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार, 41. रेत या गिट्टी मजदूर, 42. निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक, 43. एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों, की फीटिंग/मरम्मत करने वाले कर्मकार 44. लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार, 45. भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार, 46. लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार, 47. सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने/मरम्मत करने वाले कर्मकार, 48. माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले कर्मकार, 49. पी0ओ0पी0 का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज–सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 50. सेन्ट्रींग कर्मकार, 51. सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार, 52. जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार, 53. काँच एवं Glass Panels की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 54. खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार, 55. बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिगनल, संकेतक (साईन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार, 56. फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार, 57. सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 58. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी, मुरूम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक, 59. मलबा/कचरा हटाने वाले कर्मकार, 60. रेत, मुरूम, गिट्टी, सीमेंट तथा ईंट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले कर्मकार।

Scanned with OKEN Scanner

18.5 स्थापनाओं का पंजीयन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 10 अथवा 10 से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजन वाले स्थापनाओं का पंजीयन आवश्यक है।

18.6 हितग्राही पंजीयन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक का पंजीयन मंडल के द्वारा किया जाता है।

18.6.1 पंजीयन हेतु पात्रता

निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो तथा विगत एक वर्ष में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र।

18.6.2 निर्माण श्रमिक के पंजीयन हेतु प्रक्रिया

पंजीयन हेतु किसी भी लोक सेवा केन्द्र, जिला श्रम कार्यालय, श्रम संसाधन केन्द्र, श्रमेव जयते मोबाईल एप अथवा विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन आवेदन किया जा सकता है।

18.6.3 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- नियोजन संबंधी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- लाईव फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- बैंक पासबुक।
- आयु प्रमाण पत्र (अंक सूची, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या जन्म प्रमाण–पत्र)।
- राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
- आयुष्मान कार्ड (वैकल्पिक)।
- पंजीयन एवं अभिदाय शुल्क देय नहीं है।

18.6.4 श्रमिक पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया

- पंजीयन के 05 वर्ष पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण की वैद्यता 05 वर्ष होगी।
- नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया के समान ही होंगे।
- स्व–घोषणा पत्र। (अनिवार्य)
- पंजीयन नवीनीकरण शुल्क – निःशुल्क।

Scanned with OKEN Scanner

18.7 मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की जिलेवार संख्या

क्र.	जिला	दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीयन				मंडल गठन से दिनांक 31.12.2024 तक कुल पंजीयन			
		महिला	पुरूष	ट्रांजेन्डर	योग	महिला	पुरूष	ट्रांजेन्डर	योग
1	रायपुर	36429	4903	1	41333	348881	102149	51	451081
2	बलौदा बाजार	9177	1956	1	11134	67505	27360	4	94869
3	गरियाबंद	6496	2069	1	8566	45744	22884	24	68652
4	धमतरी	23045	6958	1	30004	81396	41287	6	122689
5	महासमुंद	16823	5203	0	22026	95894	52381	11	148286
6	बिलासपुर	22860	6096	4	28960	140191	58446	21	198658
7	मुंगेली	9691	3891	2	13584	29425	20416	19	49860
8	कोरबा	2204	4094	0	6298	73231	32977	5	106213
9	जांजगीर–चाम्पा	12759	5444	2	18205	81471	24598	6	106075
10	रायगढ़	7547	2404	4	9955	52710	22603	13	75326
11	गोरेला पेंड्रा मरवाही	1514	806	0	2320	7786	4956	1	12743
12	बस्तर	2746	1687	0	4433	22921	18702	2	41625
13	कोंडागांव	5135	3454	2	8591	16918	14669	8	31595
14	कांकेर	13836	6332	2	20170	48114	28772	9	76895
15	दन्तेवाड़ा	1595	1692	5	3292	15416	13246	6	28668
16	सुकमा	2133	1578	2	3713	21724	17174	35	38933
17	नारायणपुर	3637	1683	3	5323	12107	7378	4	19489
18	बीजापुर	1607	929	0	2536	8209	5685	5	13899
19	सरगुजा	8924	3631	3	12558	38375	21289	13	59677
20	सुरजपूर	8149	2776	5	10930	66618	54970	33	121621
21	बलरामपुर	4997	3016	0	8013	22379	28839	5	51223
22	कोरिया	4871	1968	3	6842	29020	23503	10	52533
23	जशपुर	4334	1547	0	5881	23007	11493	2	34502
24	दुर्ग	19378	5233	1	24612	105128	31720	10	136858
25	राजनांदगांव	22687	7530	2	30219	98510	30293	8	128811
26	बालोद	14950	4187	5	19142	78052	34919	18	112989
27	बेमेतरा	9795	1825	0	11620	68895	26231	5	95131
28	कवर्धा	13470	4007	2	17479	65305	24309	4	89618
29	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	4061	1021	1	5083	15057	7742	4	22803
30	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	5600	1686	0	7286	23151	8755	1	31907
31	सक्ती	6540	2500	1	9041	61139	16792	6	77937
32	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	2098	805	2	2905	14233	14965	11	29209
33	सारंगढ़–बिलाईगढ़	4600	1622	3	6225	47365	19514	7	66886
	महायोग	**313688**	**104533**	**58**	**418279**	**1925877**	**871017**	**367**	**2797261**

Scanned with OKEN Scanner

18.8 श्रमिकों के पंजीयन को बैंक खाता, आधार एवं मोबाईल नंबर से लिंकिंग संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक	मंडल गठन से दिनांक 31.12.2024 तक
1	मंडल में पंजीकृत हितग्राही	418279	2797261
2	पंजीयन में आधार अंकित	418279	2444483
3	पंजीयन में बैंक खाता अंकित	418279	2480479
4	पंजीयन में मोबाईल नंबर अंकित	418279	2040377

18.9 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित [illegible] योजनाएं

18.9.1 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना

हितलाभ : भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में अधिसूचित प्रवर्ग में हि[illegible] निःशुल्क पंजीयन एवं नवकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर [illegible] पंजीयन/नवकरण अभिदाय शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा [illegible] जायेगा।

पात्रता : आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तथा विगत एक वर्ष में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र।

18.9.2 मिनीमाता महतारी जतन योजना

हितलाभ : पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों के प्रसव हेतु रूपये 20,000/– एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् देय।

पात्रता : बच्चे के जन्म के 01 वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रुप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

18.9.3 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

हितलाभ : सामान्य मृत्यु पर रूपये 1,00,000/–, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रूपये 5,00,000/– एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2,50,000 रूपये देय।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक। निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.4 मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना

हितलाभ : निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 अविवाहित पुत्रियों को उनके शिक्षा, रोजगार तथा पुत्री के विवाह हेतु रूपये 20,000 की सहायता राशि।

पात्रता :
1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम 03 वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों।
2. पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम एवं 21 वर्ष से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो एवं कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

18.9.5 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : निम्नवत वार्षिक छात्रवृत्ति।

1.	कक्षा 1 से 5	–	छात्र रू. 1,000,	छात्रा रू. 1,500
2.	कक्षा 6 से 8	–	छात्र रू. 1,500,	छात्रा रू. 2,000
3.	कक्षा 9 से 12	–	छात्र रू. 2,000,	छात्रा रू. 3,000
4.	स्नातक	–	छात्र रू. 3,000,	छात्रा रू. 4,000
5.	स्नातकोत्तर	–	छात्र रू. 5,000,	छात्रा रू. 6,000
6.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम	–	छात्र रू. 6,000,	छात्रा रू. 8,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर का व्यवसायिक पाठ्यक्रम	–	छात्र रू. 8,000,	छात्रा रू. 10,000 रूपये देय होगा।

पात्रता :
1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत् प्रथम 02 बच्चे।
2. आवेदन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से 31 दिसम्बर तक आवेदन अनिवार्य है।

18.9.6 मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

हितलाभ : हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त सहायता राशि।

पात्रता :
1. निर्माण श्रमिक के रूप में विगत् 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।
2. निर्माण श्रमिक की आयु न्यूनतम 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष हो।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.7 मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना

हितलाभ :

1. 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय :
   - कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं – छात्र रू. 5,000, छात्रा रू. 5,500
   - समस्त स्नातक कक्षा – छात्र रू. 7,000, छात्रा रू. 7,500
   - समस्त स्नातकोत्तर कक्षा – छात्र रू. 10,000, छात्रा रू. 10,500
   - समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा – छात्र रू. 12,000, छात्रा रू. 12,500
2. छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर रूपये 1 लाख की प्रोत्साहन राशि ए दोपहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु राशि रू 1 लाख अनुदान।
3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क/समस्त शैक्षणिक शु छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्टेशनरी हेतु राशि रू 2,000 प्रतिवर्ष देय।
4. अधिसूचित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विदेश में अध्ययन करने पर प्रत्येक शिक्षा सत्र की वास्तविक प्रवेश शुल्क, अथवा निर्धारित राशि रू 50 लाख (उस देश के लिए निर्धारित करेंसी की अद्यतन दर पर) देय होगी एवं निर्वाह भत्ता संबंधित संस्थान के छात्रावास का वार्षिक वास्तविक शुल्क जो भी कम हो वार्षिक देय होगा, जिस हेतु श्रमिक का मंडल में 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

पात्रता :

1. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। (बिन्दु क्रमांक 03 को छोड़कर)
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों हेतु वार्षिक प्रोत्साहन राशि देय होगा।
3. योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल 01 बार ही देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.8 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

हितलाभ :
1. प्रतिमाह रूपये 1500/– जीवन पर्यन्त पेंशन।
2. पेंशनर श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके पति अथवा पत्नि को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् प्रतिमाह 750 रूपये पारिवारिक पेंशन

पात्रता :
1. निर्माण श्रमिक के रूप में 10 वर्षो से पंजीकृत हो एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो।
2. मंडल की मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही अपात्र होंगें।

18.9.9 दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना

हितलाभ : ई–रिक्शा क्रय करने पर रूपये 1,00,000/– की अनुदान।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो आजीविका मिशन के तहत् पंजीकृत हो।

विशेष : स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। बैंक से ऋण स्वीकृति दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन किया जाना होगा।

18.9.10 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना

हितलाभ :
1. जिला स्तर – रूपये 1,000
2. संभाग स्तर – रूपये 2,000
3. राज्य स्तर – रूपये 5,000
4. राष्ट्रीय स्तर – रूपये 50,000

पात्रता :
1. निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चे योजना हेतु पात्र।
2. बच्चों की उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो।
3. खेलो इण्डिया योजनांतर्गत चिन्हित खेल जैसे – एथलेटिक, कबड्डी, खो–खो, फुटबाल, बालीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग छ0ग0 शासन, अंतर्गत स्वीकृत/मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि पाने की पात्रता।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.11 विशेष शिक्षा सहायता योजना

हितलाभ : 1. निर्माण श्रमिक की पंजीयन के 01 वर्ष पश्चात् मृत्यु की दशा में उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी कर, शिक्षा संबंधी योजनाओं में लाभान्वित करना।

पात्रता : 1. निर्माण श्रमिक के ऐसे (पुत्र–पुत्री) जिनके (माता–पिता) दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक (माता–पिता) में से कोई भी मंडल अंतर्गत न्यूनतम 01 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो।

2. मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता–पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को पात्रता नहीं होगी।

18.9.12 मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन

हितलाभ : निर्माण कार्य स्थल, चॉवड़ी तथा आयोजित शिविर/सम्मेलनों में मो रजिस्ट्रेशन वेन के माध्यम से पंजीयन/नवकरण/योजना का प्रचार कर निर्माण श्रमिकों से आवेदन प्राप्त करना।

पात्रता : मंडल द्वारा अधिसूचित विभिन्न प्रवर्ग के निर्माण श्रमिक।

18.9.13 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

हितलाभ : 01 नग सिलाई मशीन क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित राशि देय।

पात्रता : 1. पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो। पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

2. मंडल में संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

3. राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।

4. मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभांवित महिला निर्माण श्रमिक अपात्र होंगी।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.14 मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

हितलाभ : 01 नग सायकल क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित राशि देय। योजना का लाभ केवल एक बार देय होगा।

पात्रता :
1. 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की महिला निर्माण श्रमिक जो मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
2. 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरूष निर्माण श्रमिक।
3. निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।

18.9.15 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

हितलाभ : राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेजा–कुली, पेंटर, कारपेंटर आदि पंजीकृत हितग्राहियों को औजार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित राशि देय होगा। योजना का लाभ केवल एक बार देय होगा।

पात्रता :
1. 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
2. निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।

18.9.16 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु राशि रूपये 1500/– देय होगा। 02 वर्ष में एक बार योजना का लाभ देय होगा।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।

18.9.17 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

हितलाभ : राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राईविंग, ऑटोमोबाईल, सुरक्षा गार्ड इत्यादि ट्रेड में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन के मान से मानदेय भुगतान।

पात्रता :
1. 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
2. कौशल प्रशिक्षण 03 वर्ष में एक बार देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.18 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को अथवा पंजीकृत पुरूष श्रमिक की पत्नी को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नया गैस कनेक्शन लिये जाने हेतु राशि का भुगतान मंडल द्वारा खाद्य विभाग को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : 18 से 50 आयु के पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक।

18.9.19 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : निर्माण कार्य से संबंधित अधिसूचित प्रवर्गों के अवमुक्त बंधक श्रमिकों को 4000 रूपये देय, जिसमें 2000 रूपये उनकी वापसी तथा 2000 रूपये उनके स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र हेतु।

पात्रता : निर्माण कार्य से संबंधित अधिसूचित प्रवर्गों के छत्तीसगढ़ के मूल रह[illegible] श्रमिक को प्रदेश में वापस आने पर पंजीकृत कर।

18.9.20 श्रम मित्र योजना

हितलाभ :

1. पंजीयन एवं योजनाओं में अधिकाधिक लाभांवित किये जाने हेतु प[illegible] निर्माण श्रमिकों का चयन कर उन्हें श्रम मित्र/संयोजक बनाये जा[illegible]।
2. श्रम मित्र को प्रति पंजीयन/योजना आवेदन हेतु 50/– रूपये अधिकतम 5000/– रूपये एवं संयोजक को प्रति आवेदन 15/– अधिकतम 7,500/– प्रोत्साहन भत्ता देय।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

18.9.21 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : 05 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

18.9.22 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000 प्रति हितग्राही।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो एवं ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि होने पर योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हों उन्हें अधिसूचित प्रवर्ग में नियमानुसार पंजीकृत कर लाभ दिया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.23 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना

हितलाभ :

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु वास्तविक व्यय राशि या अधिकतम राशि रूपये 20,000 देय।
2. निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को चश्मा हेतु रूपये 1,000/–, कृत्रिम दन्त हेतु रूपये 5,000/– एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रूपये 6,000/– प्रदाय।
3. 15 दिवस से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर न्यूनतम वेतन के मान से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति।
4. 3 वर्ष तक मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर का ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर वास्तविक व्यय राशि या अधिकतम राशि रूपये 20,000/– जो भी कम हो देय होगा। (यह लाभ प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अतिरिक्त होगा।)

पात्रता :

1. मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
2. आश्रितों को योजना का लाभ देय नहीं होगा।

18.9.24 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना

हितलाभ : श्रमिकों के समस्याओं के निराकरण, पंजीयन/नवकरण, योजना आवेदन तथा अन्य विभागीय जानकारी हेतु राज्य स्तरीय हेल्पलाईन सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0771–3505050 है।

पात्रता : मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रवर्ग के श्रमिक।

18.9.25 मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना

हितलाभ : प्रत्येक विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय में 01–01 श्रम संसाधन केन्द्र संचालित कर, श्रमिकों के पंजीयन/नवकरण तथा योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के संबंध में त्वरित सहायता प्रदाय करना।

पात्रता : मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रवर्ग के श्रमिक।

Scanned with OKEN Scanner

18.9.26 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना

हितलाभ : बस/रेल के माध्यम से 50 कि0मी0 तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु मंथली सीजन टिकट कार्ड (MST) मंडल द्वारा परिवहन विभाग एवं रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा उस अवधि हेतु निर्धारित दर पर हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

18.9.27 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

हितलाभ : स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए एकमुश्त अनुदान राशि रूपये 1 लाख।

पात्रता :

1. 03 वर्ष का जीवित पंजीयन हो।
2. स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो [illegible]
3. पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही [illegible] स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को पात्रता हो [illegible]
4. स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्र[illegible] शहरी क्षेत्रों में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफी[illegible] क्षेत्रफल का अधिकतम अविवादित भू–खंड होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा भू–खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पट्टा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू–अधिकार पत्र (पट्टा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पट्टा) के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत भी योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) से भूमि व्यपवर्तन/भवन अनुज्ञा/पंचायत से अनुशंसा/अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

18.9.28 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना-

हितलाभ :

1. कक्षा 1 से 8 तक राशि रू 1,000/– एवं कक्षा 9वीं से 12 वीं तक राशि रू 2,000/– तक शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि देय होगा।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के आश्रित प्रथम 02 संतानों को जो मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर चुके है।

Scanned with OKEN Scanner

18.10 मंडल की नवीन योजनाएं

18.10.1 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे – PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मंडल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेलवे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऑनलाईन/ऑफलाईन निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना।

पात्रता :
1. निर्माण श्रमिक का मंडल में 01 वर्ष पूर्व पंजीयन अनिवार्य।
2. संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके 02 संतान पात्र होंगे।

18.10.2 मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे – सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं स्वामी आत्मानंद स्कूलों के अंतर्गत कक्षा 4थी अथवा 5वीं के बच्चों को कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु तथा 7वीं एवं 8वीं के बच्चों को कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निः शुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाना।

पात्रता :
1. निर्माण श्रमिक का मंडल में 01 वर्ष पूर्व पंजीयन अनिवार्य।
2. संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले पंजीकृत श्रमिक के 02 संतान पात्र होंगे।

18.10.3 अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से जिलों में संचालित श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 06 वीं में प्रवेश लिया जाकर कक्षा 12वीं तक की गुणवत्तायुक्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

पात्रता : मंडल अंतर्गत 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 बच्चे।

Scanned with OKEN Scanner

18.11 योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण

क्र.	योजना का नाम	01.01.2024 से 31.12.2024 तक लाभान्वितों की संख्या
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	9060
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	281
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	8428
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	5421
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	182847
6	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना	3346
7	मिनीमाता महतारी जतन योजना	45550
8	दीदी ई–रिक्शा सहायता योजना	83
9	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	20
10	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	1875
11	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	50207
12	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	902865
13	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	4099
14	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	63860
15	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना	631
16	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना	2741
17	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना	8
18	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना	23
	योग	**12,81,345**

टीप :– 1. मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना के तहत् 41,897 एवं मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना के तहत 45,926 निर्माण श्रमिकों को पंजीयन/नवकरण एवं योजनाओं के आवेदन में सहयोग प्रदान किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

टीप :– 1. मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना के तहत् 41,897 एवं मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना के तहत 45,926 निर्माण श्रमिकों को पंजीयन/नवकरण एवं योजनाओं के आवेदन में सहयोग प्रदान किया गया है।

2. मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना के तहत 22,90,412 इनकमिंग एवं आउटगोईंग कॉल के माध्यम से श्रमिकों को जानकारी प्रदान कर समस्याओं का समाधान किया गया है।

3. शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत संचालित भोजन केन्द्रों के माध्यम से 6,20,617 यूनिट भोजन निर्माण श्रमिकों द्वारा ग्रहण किये है।

18.12 मंडल की वित्तीय व्यवस्था :-

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जमीन की लागत एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) उपकर मंडल को प्राप्त होता है। मंडल को प्राप्त उपकर की वर्षवार जानकारी निम्नवत् है :–

क्र.	वर्ष	प्राप्त उपकर राशि (रूपये में)
1	2008-09	4387
2	2009-10	35524761
3	2010-11	384184437
4	2011-12	624016347
5	2012-13	852742070
6	2013-14	1348125824
7	2014-15	1319246656
8	2015-16	1268983537
9	2016-17	1725204504
10	2017-18	1783936126
11	2018-19	1997075475
12	2019-20	1636160248
13	2020-21	1690468064
14	2021-22	1848412546
15	2022-23	2213087490
16	2023-24	3067692525
17	2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)	2242285802
कुल योग		**24,03,71,50,799**

Scanned with OKEN Scanner

18.13 मंडल का व्यय

मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य प्रशासकीय कार्यो पर वर्ष 2024–25 (31 दिसम्बर, 2024 तक) में कुल राशि रूपये 2,39,27,45,745/– व्यय हुआ है। वर्षवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	स्थापना व्यय (रूपये में)	योजनाओं हेतु व्यय राशि (रूपये में)	कुल योग (रूपये में)
1	2008-09	0	0	0
2	2009-10	532726	33560	566286
3	2010-11	10785249	23908726	34693975
4	2011-12	4787818	117857380	122645198
5	2012-13	7114131	572045830	579159961
6	2013-14	7937116	1034413834	1042350950
7	2014-15	9825142	620024024	629849166
8	2015-16	18750261	1200716764	1219467025
9	2016-17	21547984	1768688740	1790236724
10	2017-18	64082129	1916891653	1980973782
11	2018-19	76279765	1859423877	1935703642
12	2019-20	24667838	1126276954	1150944792
13	2020-21	30401167	834568799	864969966
14	2021-22	38137379	884322829	922460208
15	2022-23	37305740	2003303991	2040609731
16	2023-24	33510521	3670827938	3704338459
17	2024-25 (दिसम्बर 2024 तक)	22462702	2370283043	2392745745
कुल योग		**40,81,27,668**	**20,00,35,87,942**	**20,41,17,15,610**

Scanned with OKEN Scanner

19. श्रम विभाग के तीनों मंडलों में समान रूप से संचालित योजनाएं

19.1. सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ :

1. योजना के तहत् सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पंजीकृत श्रमिक को कुल 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2. सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित प्रमाणित होने पर हितग्राही को रूपये 1 लाख खाते में तथा शेष 2 लाख रूपये एफ0डी0 के रूप में देय होगा।
3. हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को 1 लाख रूपये खाते में तथा रूपये 2 लाख एफ0डी0 के रूप में देय होगा।
4. एफ0डी0 के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा।
5. पुनर्वास सहायता – सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार देय होगा।

पात्रता : असंगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं संगठित श्रमिक का सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने की पुष्टि होने पर संबंधित मंडल में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जायेगा।

19.2 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत संचालित श्रम अन्न केन्द्रों में पंजीकृत असंगठित, निर्माण एवं संगठित श्रमिकों को रूपये 5/– में गरम एवं पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं आचार) प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : असंगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं संगठित श्रमिक के रूप में श्रम विभाग के मंडल में पंजीकृत हो।

Scanned with OKEN Scanner

19.2.1 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना : वर्तमान में 13 जिलों में कुल 31 केन्द्र संचालित है, संचालित केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	जिले का नाम	केन्द्र संख्या	श्रम अन्न केन्द्र के स्थानों का नाम
1	रायपुर	6	तेलीबांधा
			गांधी मैदान
			उरला
			मेग्नेटो मॉल
			नया विधानसभा भवन, नवा रायपुर
			डुमरतराई
2	महासमुंद	2	बस स्टैंड के पास
			सी.एस.आई.डी.सी. बिल्डिंग, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र
3	बलौदाबाजार	1	भाटापारा मंडी के पास
4	दुर्ग	7	कुम्हारी
			मड़ौदा, भिलाई
			छावनी
			तहसील चौक, दुर्ग
			मंडी, सुपेला (ढिल्लन कॉप्लेक्स के पास)
			हथखोज
			रसमड़ा
5	राजनांदगांव	3	टेड़ेसरा
			टोलागांव (एबीस)
			कृषि उपज मंडी
6	बालोद	1	बुधवारी बाजार सब्जी मंडी
7	बिलासपुर	2	बृहस्पति बाजार
			तिफरा (सब्जी मंडी)
8	रायगढ़	2	एन.टी.पी.सी.लारा
			तमनार
9	कोरबा	2	बालको
			बुधवारी बाजार पानी टंकी के पास
10	जांजगीर–चांपा	2	खोखरा मोड़
			मड़वा पावर प्लांट
11	सूरजपुर	1	शक्कर कारखाना केरता
12	कोरिया	1	बैकुण्ठपुर
13	सरगुजा	1	थाना चौक, अम्बिकापुर

Scanned with OKEN Scanner

20. छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति, 2020

प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन कर डाटाबेस तैयार कर सुगम एवं सुरक्षित प्रवास करने हेतु विभिन्न विभाग के समन्वय से छ0ग0 राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 दिनांक 19.07.2021 से लागू किया गया है।

20.1 छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के अंतर्गत की गयी कार्यवाही -

20.1.1 प्रवास पंजी का ऑनलाईन संधारण :- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों की ऑनलाईन जानकारी संकलित किये जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा वेब पोर्टल/मोबाईल एप के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा संधारित की जा रही है।

20.1.2 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र (C.M. Labour HelpLine) :- प्रवासी श्रमिकों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितलाभ संरक्षण, सहायता, शासन की योजनांतर्गत लाभांवित करने एवं उनके शिकायत के निराकरण हेतु 'मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र' का संचालन किया जा रहा है, जिसका हेल्पलाईन नंबर 0771–3505050 है, जो कि 24X7 संचालित है।

20.1.3 मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र :- राज्य के 28 जिला श्रम कार्यालयों एवं 146 विकासखण्डों में श्रमिकों की सहायता हेतु श्रम संसाधन केन्द्र संचालित है।

21. असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Suo Motu No. 06/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2021 के परिपालन में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई–श्रम पोर्टल लांच किया गया है।
- उक्त पोर्टल में असंगठित श्रमिक (जिसमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं) के पंजीयन हेतु प्रदेश के लिये 82.42 लाख असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में दिनांक 31.01.2025 तक 85.46 लाख श्रमिक ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है।

Scanned with OKEN Scanner

22. राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़

22.1 **गतिविधियाँ** :- यह एक न्यायिक संगठन है। राज्य औद्योगिक न्यायालय द्वारा श्रम विधियों के अंतर्गत श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण किया जाता है। औद्योगिक न्यायालय का गठन औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 तथा श्रम न्यायालय का गठन धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(ए) के अंतर्गत किया गया है। धारा–7(ए) के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद चाहे वह अधिनियम की अनुसूची–2 का विषय हो अथवा अनुसूची–3 का हो राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण/औद्योगिक न्यायालय का गठन दिनांक 01.08.2002 से किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक या एक से अधिक सदस्य न्यायाधीश का प्रावधान रखा गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में एवं खण्डपीठ बिलासपुर में स्थापित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत 14 श्रम न्यायालय क्रमशः श्रम न्यायालय क्रमांक–1 एवं क्रमांक–2 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थापित है।

श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2015/16, दिनांक 08.12.2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक संगठन को माननीय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में लिया गया है।

22.2 **उपलब्धियाँ** :- श्रम न्यायालयों द्वारा अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराया जाता है। वर्ष 2024 में 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 तक लगभग 3,97,03,490/– रूपये (तीन करोड़ सन्तानवे लाख तीन हजार चार सौ नब्बे रूपये) अर्थदंड एवं नकल शुल्क रूपये लगभग 78,461/– (अठहत्तर हजार चार सौ इकसठ रूपये) वसूल कर शासन के खाते में जमा किया गया।

श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मृतक श्रमिकों के आश्रित परिवारजनों को क्षतिधन की राशि रूपये 17,62,57,225/– (सत्रह करोड़ बैसठ लाख सन्तावन हजार दो सौ पच्चीस रूपये) का भुगतान कराया गया है।

22.3 **संपादित कार्यों का विस्तृत प्रगति विवरण :-** औद्योगिक न्यायालय रायपुर एवं औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ, बिलासपुर में 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक 52 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, एवं श्रम न्यायालयों द्वारा 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक सिविल प्रकरण 1211 एवं फौजदारी प्रकरण 1887 इस प्रकार कुल 3098 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

23. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

23.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावशील है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों के सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालयों तथा नगरीय निकाय एवं अन्य स्थानीय निकाय पर लागू है। संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर यह योजना लागू होती है। वर्तमान में रुपये 21,000/— प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहा जाता हैं।

23.2 बीमित व्यक्तियों के वेतन से 0.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 3.25% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है। हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है।

23.3 हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये रूपये 2600/— प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की सीलिंग निर्धारित की गई है। चिकित्सा हितलाभ देने पर हुए व्यय का शत्–प्रतिशत वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया जाता है।

23.4 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा हितग्राहियों को नगद हितलाभ दिये जाते हैं।

23.5 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 11 जिलों में 42 औषधालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 5.66 लाख बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य हितलाभ प्राप्त कर रहे है।

23.6 राज्य के 17 जिलों के मुख्यालय/म्युनिसिपल क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा योजना लागू की गई है तथा भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के औषधालय आरंभ किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

23.7 राज्य शासन द्वारा बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन के लिये राज्य के 34 निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया है।

23.8 योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में संदर्भित कर उपचार कराया जाता है।

23.9 बीमित हितग्राहियों के बेहतर चिकित्सा सेवायें तथा उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन तथा एक्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष, सचिव (श्रम) छत्तीसगढ़ शासन है।

23.10 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें की पद संरचना

श्रेणी	स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी	21
द्वितीय श्रेणी	145
तृतीय श्रेणी	533
चतुर्थ श्रेणी	281
कुल	**980**

23.11 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें का बजट प्रावधान तथा व्यय

वित्त वर्ष	बजट प्रावधान (रू.)	कुल व्यय (रू.)
2024–25	160,22,78,600	67,99,75,285 (माह दिसम्बर 2024 तक)

Scanned with OKEN Scanner

23.12 वर्तमान में कार्यरत औषधालयों/केन्द्रों का जिलेवार विवरण :-

क्रमांक	जिले का नाम	क्र.	औषधालय/केन्द्र का नाम
01	रायपुर	1.	फाफाडीह
		2.	बीरगांव
		3.	कबीर नगर
		4.	चौबे कालोनी
		5.	मंदिरहसौद
		6.	बैकुंठ (तिल्दा)
		7.	सेजबहार–डूंडा
		8.	सिलतरा
02	दुर्ग	9.	नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार)
		10.	भिलाई सुपेला केन्द्र
		11.	दुर्ग केन्द्र
		12.	रसमडा केन्द्र
		13.	जामुल केन्द्र
		14.	कुम्हारी केन्द्र
		15	रिसाली–मरौदा केन्द्र
		16.	हथखोज केन्द्र
		17.	भिलाई–3
03	राजनांदगांव	18.	राजनांदगॉव केन्द्र
		19.	टेडेसरा केन्द्र
		20.	तुमडीबोड़ केन्द्र
04	बिलासपुर	21.	बिलासपुर केन्द्र
		22.	बिल्हा केन्द्र
		23.	सीपत
05	रायगढ़	24.	रायगढ़ केन्द्र
		25.	पतरापाली केन्द्र
		26.	तराईमाल केन्द्र
		27.	जामगॉव केन्द्र
		28.	भूपदेवपुर
		29.	तमनार
06	सक्ती	30.	सारंगढ़–चन्द्रपुर
07	जांजगीर–चांपा	31.	चांपा केन्द्र
		32.	अकलतरा केन्द्र
08	कोरबा	33.	कोरबा केन्द्र
		34.	बाल्को नगर केन्द्र
		35.	दर्री जमनीपाली
		36.	पताड़ी केन्द्र
		37.	दीपका
09	बलौदाबाजार	38.	बलौदाबाजार
		39.	भाटापारा
		40.	हिरमी
10	धमतरी	41.	धमतरी केन्द्र
11	गरियाबंद	42.	नवापारा–राजिम

Scanned with OKEN Scanner

23.13 **शीघ्र आरंभ होने वाले नये औषधालय :-** तिल्दा (रायपुर), उरला (रायपुर), लारा (रायगढ़) एवं खरसिया (रायगढ़) में 1–1 औषधालय शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

23.14 **आगामी कार्य योजना :-**

23.14.1 हितग्राहियों को अंतः रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये रायपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा भिलाई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा चिकित्सालय संचालित है। जिसमें कोरबा एवं रायपुर में आई0पी0डी0 व ओ0पी0डी0 तथा भिलाई एवं रायगढ़ में ओ0पी0डी0 चालू है।

23.14.2 इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर द्वारा बिलासपुर में 100 बिस्तर चिकित्सालय निर्माण के लिये उपलब्ध कराये गये भूखण्ड की स्वीकृति हेतु मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया है।

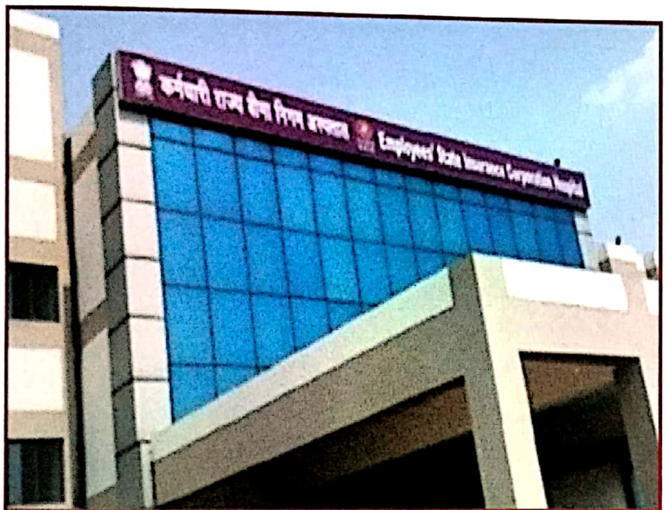

कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल, रायपुर

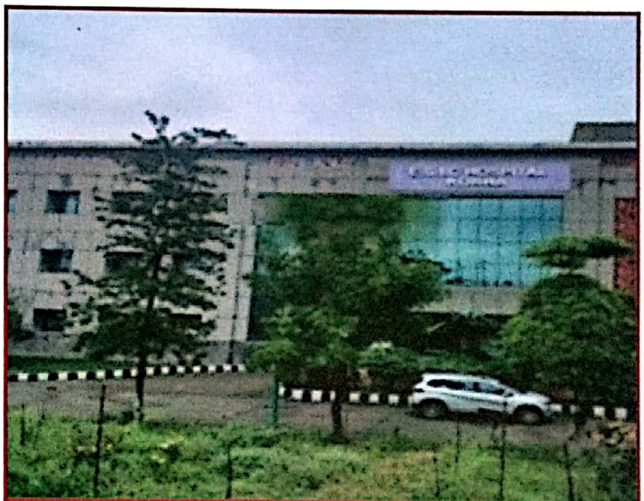

कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल, कोरबा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल, रायगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल, भिलाई

Scanned with OKEN Scanner

"श्रमिकों का सशक्तिकरण, भविष्य का निर्माण" विषय पर आयोजित कार्यशाला

Scanned with OKEN Scanner

मान्नीय श्रममंत्री जी के कर कमलों से हितग्राहियों को राशि हस्तांतरण

माननीय श्रम मंत्री जी 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना' से लाभांवित करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

मानीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन

माननीय श्रममंत्री जी द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा

कार्यालय श्रमायुक्त, द्वितीय तल, ब्लॉक-3, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, पिन- 492002
दूरभाष नं. - 0771-2443515, 16, हेल्पलाईन नम्बर-0771 3505050, टोल फ्री नंबर - 1800-233-2197
Website - https://shramevjayate.cg.gov.in/

Scanned with OKEN Scanner